शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम- मछली पालन विभाग

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप—योजनावार प्रेषित की जाए)	अंतर्देषीय माात्स्यिकी और जलकृषि का विकास
	Name of the scheme with su- components, if any (Please give the following details sub-componentwise, if applicable)	"Development of Inland Fisheries and Aquaculture."
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है । Whether it is a Government of India/State Government Sponsored Scheme?	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण केन्द्र प्रवर्तित योजना Centrally Sponsored Scheme
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department at the State Government level responsible for implementing the Scheme	मछलीपालन विभाग, छत्तीसगढ़ Fisheries Department Chhattisgarh
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग Nodal department at the District level responsible for implementing	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण जिलों में पंजीकृत संस्था है, इसके अध्यक्ष संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत है । Fish Farmer Development Agency is a Registered body.
5	पोजना का उद्देश्य Objective of the Scheme	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के उद्देष्य निम्नानुसार है:— 1. ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन उन्हें उपलब्ध कराना । 2. पड़ित जलक्षेत्र में संघन मछली पालन के कार्य के अंतर्गत लाना तथा उनमें अधिक मत्स्योत्पादन करना । 3. मत्स्य कृषक जिन्हें तालाब 10 वर्षीय पट्टा दिया गया हे, सघन मछली पालन विधि अल्पाविध प्रिषक्षण योजना है। 4. मत्स्य कृषकों को तालाब की मरम्मत तथा मत्स्य पालन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये प्रथम वर्ष की पूंजी के लिये बैंक से लम्बी अविध को ऋण तथा शासकीय अनुदान उपलब्ध कराकर उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करना। 1. BPL families are beneficiaries and tanks are given them for 10 year lease. They develop their socio economic condition

	I	
		 Barran water area are utilised throught integrated fish farming. Idendity fish farmers those who have provided tanks on lease for 10 years are trained for integrated fish farming and short term training. Loan and subsidy will be provided for 1st year fish culture and repairing of tank to get more target fish production.
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना कियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों / जिलों विकासखंडों के नाम दर्शायें जाए । Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, kindly indicate the regions/Districts/blocks where the Scheme is under implementation.	राज्य के पुराने 7 जिलों में योजना पंजीकृत है, जिसके अधीन प्रदेष के सभी नये जिले आ रहे है । FFDA is rgistered is 7 districts of the state and all new districcts covered this scheme.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक / सीमान्त कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग / पुरूष / महिला आदि) Type of Beneficiaries covered under the scheme (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/Women etc.)	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे है को हितग्राही बनाया जाता है । Under FFDA Scheme beneficiaries are BPL class.
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मापदण्ड, यदि कोई हो तो ? Eligibility criteria for the beneficiary, if any	हितग्राही बनाया जाता है । इसके लिये निर्धारित प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार है :— 1. मछुआ/अजजा/अजा की सहकारी समिति। 2. मछुआ/अजजा/अजा के समूह । 3. मछुआ/अजजा/अजा व्यक्ति विषेष। 4. विस्थापित मछुआ समिति/समूह/ व्यक्ति । 5. स्व सहायता समूह । Illigibility criteria for this scheme is BPL. Priorities fixed are as under:- 1. Society of fishermen ST/SC.
2		 Group of fishermen ST/SC. Individual fishermen ST/SC. Migrated societies group/individual. Self help group.

 क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर /दोनों व्यक्तिगत व समूह स्तर पर दी जाती है ?

Whether assistance is provided on an individual basis/group basis/both, individual and group basis

10 प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राषि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राहियों के लिए अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये ।

Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the bassis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate (%) Minimum
Maximum
GOI contribution
State Governnt contribution

सभी श्रेणी के मत्स्य पालकों को केवल एक बार सहायता (अनुदान) देने का प्रावधान है ।

Subsidy provision only once for all classes of fishermen whether they are societies/groups/individual.

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय पषुपालन एवं डेयरी विभाग नई दिल्ली के पत्र क. 31013/4/2001—fy(3) दिनांक 26.3.04 की छायाप्रति संलग्न है । इसमें निर्धारित पैटर्न अनुसार ही मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत 1 से 15 आयटमों में हितग्राहियों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । इसमें से 75 प्रतिषत भारत सरकार तथा 25 प्रतिषत राज्य ष्शासन द्वारा वहन किया जाता है ।

Photocopy of letter no. 31035/4/2001-fy(3) of Govt. of India Agriculture Ministry, Veternary, Dairy and Fisheries Department, New Delhi. Expenditure on all items below will be shared on 75:25 basis between Govt. of India and State. the pattern of subsidy will be provided to beneficiaries as per approved pattern for fish farmer development agency in the item no. 1 to 15 as follow:-

1. तालाबों का निर्माण -

रू.3.00 लाख /हेक्टेयर के मान से अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जन जातियों के लिये राजसहायता 75,000रू. प्रति हेक्टे.(25%) है। अन्य सभी वर्ग के किसानों के लिये रू. 60,000 प्रति हेक्टे. की अधिकतम सीमा के साथ 20% की दर से राजसहायता देय है।

1. Construction of new ponds-

Rs. 3.00 lakh/ha.for construction of pond. Under scheme subsidy @ of 20% with a cealing of Rs. 60,000/- ha for all farmers except SCs/STs for whom it will be Rs. 75,000/ha (25%).

2.तालाबों / टेंकों का पुनर्रुद्धार / नवीनीकरण रू. 75000 / हे. । अनुदान दर सभी किसानों को रू. 15000 / हे. अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिषत की दर से अनुसूचित जाति / जनजाति के किसानों के लिए रू. 18,750 / हे. ।

2. Reclaimation/Renovation of ponds/tanks Rs. 75000/ha. subsidy @ of 20% with the cealing of Rs. 15000/ha. for all farmers except SCs/STs for whom it will be Rs. 18,750/ha. (25%).

- 3. परिपूरक आहार हेतु :
- अ. फिनफिष कल्चर— रू. 50000 / हे. अनुदान दर सभी किसानों को 20 प्रतिषत की दर से अधिकतम सीमा रू. 10000 / हे. अनुसूचित जाति / जनजाति के किसानों के लिए रू. 12500 / हे. रू. 25 प्रतिषत ।
- ब. मीठे जल में झींगा पालन— इकाई लागत रू. 1.80 प्रति हे. अनुदान की दर 20 प्रतिषत अधिकतम सीमा रू. 36000 / हे.। अजा / जजा 45000 / –(25%).
- 3. Cast of inputs
- A. Finfish culture Rs. 50000/ha. subsidy @ of 20% with the cealing of Rs. 10000/ha. for all farmers except SCs/STs for whom it will be Rs. 12500/ha. (25%).
- B. Fresh water prawn culture Unit cost Rs. 1.80/ha. subsidy @ of 20% with the cealing of Rs. 36000/ha for ST/SC Rs. 45000/-.
- 4 ताजा जल मत्स्य बीज हैचरी –

मैदानी क्षेत्रों के लिए 10 मिलियन (फाई) क्षमता वाली 1 मत्स्य बीज हैचरी के लिए रू. 12 लाख तथा पहाड़ी राज्यों/जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सामान्य क्षमता के साथ रू. 16 लाख अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिषत की दर से अधिकतम सीमा रू. 1.20 एवं 1.60 अनुदान सहायतार्थ केवल उद्यमियों को ।

4. Fresh water fish seed hatchery: Rs. 12 lakh for a fish seed hatchery with 10 milion (fry) capacity for the plain area and Rs. 16 lakh for same capacity in the hill state/district and NE region subsdiy @ 10% with a cealing of Rs. 1.20 & 1.60 in the hilly areas to enterpreneurs only.

5.फिषफिड यूनिट : छोटी इकाई हेतु इकाई लागत रू. 7.50 लाख जिसकी उत्पादन क्षमता 12 क्विटल है अनुदान की दर 20 प्रतिषत के साथ अधिकतम सीमा रू. 1.50 लाख प्रति इकाई उद्यमियों को।

5.Fish Feed Unit: Small unit Uinit cost is Rs. 7.50 lakh with a capacity of 1.2 qintal/day. The subsidy would be @ 20% with a sealing of Rs. 1.50 lakh/unit to enterprnure.

- 6.टाऊट ताजा जल झींगा बीज हैचरी की स्थापना —
 (1) 25 मिलियन पीएल / वर्ष की क्षमता वाली एक बड़ी
 ताजा जल झींगा हैचरी की यनिट लागत 30,00 लाख
- ताजा जल झींगा हैचरी की यूनिट लागत 30.00 लाख रूपये हैं । यह राज्य स्तर पर हैचरी की स्थापना के लिए राज्य को एकमुष्त अनुदान ।
- (2) 5 से 10 मिलियन पीएल / वर्ष की क्षमता वाली छोटी ताजा जल झींगा हैचरी की यूनिट लागत 12 लाख रूपये है । केवल उद्यमियों को रू. 2.40 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिषत की दर से एक बार देय ।
- 6.Establishment of trout and fresh water prawn seed hatchery:
- (1) Unit cost is Rs. 30.00 lakh for a large fresh water prawn hatchery with a minimum capacity of 25 million PL/year. This would be one time grant to state for establishment of hatchery at state level.
- (2) Unit cost of is Rs. 12 lakh for a small hatchery with 5-10 millions PL/year capacity. Subsidy @ of 20% with the cealing of Rs. 2.40 lakh to entrepreneur as one time grant.
- 7. प्रत्येक एफएफडीए को मिट्टी एवं जल परीक्षण कीट का प्रावधान है — प्रत्येक मिट्टी एवं जल परीक्षण कीट की यूनिट लागत रू. 30 हजार है । प्रत्येक एफएफडीए को एकमुष्त अनुदान के रूप में एक बार कीट मंजूर की जाती है ।
- 7.Provision of soil and water testing kits to each FFDA: Unit cost of each soil and water testing kits is Rs. 40000. The kits are sanctioned once to each FFDA as one time grant.
- 8.सजावटी मछिलयों के लिए हैचरियां सिहत समेकित इकाईों का गठन : इकाई लागत रू. 15.00 लाख जिसमें 5—10 मिलियन (फ्राई) की क्षमता की हैचरी ष्शामिल है। मत्स्य किसानों की सभी श्रेणियों के लिए रू. 1.50 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिषत की दर से अनुदान सहायता।
- 8.Setting up of integrated units, including hatacheries for ornamental fishes; Unit cost is Rs. 15.00 lakh, which includes hatchery of 5-10 million (fry) capacity. Subsidy @ of 10% with a maximum cealing of Rs. 1.50 lakh to all categories of fish farmers.
- 9.सजावटी मछलियों के प्रजनकों को रखने की व्यवस्था हेतु रू. 25 लाख प्रति इकाई इसमें एक फार्म परिवहन की पूरी व्यवस्था होगी । यह राज्य ष्शासन के लिए उपलब्ध है ।

		9. Brood banks for ornamental fishes-Rs. 25 lakh per unit including a farm, transport arrangements for dissemination. Available for the State Governments.
		10.आलंकारिक / मत्स्य बीज का प्रमाणिकरण—रू. 25 लाख प्रति ईकाइ । इसमें मछली रखने की व्यवस्था एवं इनकी बीमारियों की जॉच हेतु लेब की व्यवस्था । यह राज्य शासन के लिए उपलब्ध है । 10.Ornamental/fish seed certification- Rs. 25 lakh per unit including fish holding facilities and diseases diagnostic laboratories. Available for the State Governments.
		11.मत्स्य/झींगा बीज की ढुलाई यह केवल पहाड़ी राज्यों/जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए लागू होगा । सभी एफएफडीए को ढुलाई किए गए हजार फाई के लिए फ. 20 की दर से अनुदान सहायता व्यक्तिगत किसानों के लिए लागू नहीं । 11.Transporation of fish/prawn seed:- This will be applicable only for the hill state of the districts and NE region. Subsidy @ of Rs. 20 for 100 fry transported to all FFDAs. Not applicable to individual fish farmer.
		12.वाहनों की खरीद — नए मत्स्य कृषक विकास अभिकरण (एफएफडीए) के लिए वाहन की 50 प्रतिषत लागत तथा वाहन बदलने (दूसरा वाहन) के लिए 50 प्रतिषत लागत । 12.Purchase of vehicle: 50% cost of vehicle for each new FFDA and 50% cost for the replace vehicle (Second vehicle).
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिनन प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।	नहीं ।
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof than please be provided for different categories of beneficiaries.	No.
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित है ।	ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन एवं ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करना है ।

	Type of economic activities envisaged under the scheme	To improve socio economic activities of BPL families in rural area they are provided tanks to fish farming and provided loan and subsidy also.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।	कुल लागत की सीमा केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत राषि के अंतर्गत है ।
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for single borrower/group. If so, please give details.	No ceiling has been fixed for individual/groups.
14	क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ।	हां है ।
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	Yes.
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य ष्शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिये गये है ।	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में कार्यरत है । भारत ष्शासन के परिपत्र के बिन्दु क. 1 से 12 में उल्लेखित अनुसार अनुदान राषि दी जाती हैं
	Whether any project profiles etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Govt. of India memp point No. 1 to 12.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	नहीं है ।
	Additional details, if any.	No.

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण विभाग का नाम—छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
	सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित	
	जानकारी उप—योजनावार प्रेषित की जाए)	
	Name of the Scheme with sub-	SC/ST
	components, if any please give the	
	following details sub-component wise if applicable.	
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन	जी हॉ
	द्वारा प्रवर्तित है।	
	Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?	Yes
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन	आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास
	हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	विभाग।
	Nodel Department/Directorate at the	CC CT Development Description
	Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing	SC ST Development Department.
	the Scheme.	
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु	कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला अंत्यावसायी
	उत्तरदायी नोडल विभाग।	सहकारी विकास समिति मर्या. जिला।
	Nodal office at the District level	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	responsible for implementing the Scheme.	Sahakari Vikas Samiti maryadit.
5	योजना का उद्देश्य।	स्वरोजगार द्वारा आर्थिक विकास योजना
	Objective of the Scheme.	Money development scheme by self-
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में	employment. राज्य के सभी जिलों में योजना संचालित।
	क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो तो	राज्य के समा जिला न पाजना संवालित।
	कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही	
	हैं उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडो के नाम	
	दर्शाये जाए।	
	Whether the Scheme is being implemented in all the district of the	The scheme is being implemented in all the districts of the State.
	State? If not, indicate the regions/	
	districts/ blocks where the Scheme is	
7	under implementation. किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत	अनु.जाति, अनु. जनजाति
	सिमिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त	
	कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति /	
	अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग / पुरूष	
	/ महिला आदि	The Beneficiaries of SC/ST
	Type of Beneficiaries covered under the	THE DEHERICIARIES OF SC/ST

	Scheme.(SF/MF/OF/SC/ST/ Others /	
8	Men / Women, etc.). हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	गरीबी रेखा के नीचे ।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	Below Poverty line.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	व्यक्तिगत स्तर पर।
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	Individual basis.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये। दर (%) न्यूनतम अधिकतम	ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 10,000 / — तक अनुदान जो भी कम
	Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category- wise details Rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	Loan to SC/ST 50% of total cost of Project or Rs 10,000 which ever is less.
11		नही
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है।	परिवहन क्षेत्र एवं सभी क्षेत्रों में ।
	Type of economic activities envisaged under the Scheme.	Agriculture area, Industrial area, Service / Transport area.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	राषि रू. 20,000 ∕ − से अधिक ं
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.	More than Rs. 20,000/-

14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अ.जा.) आदिवासी स्वरोजगार योजना ऋण (अ.ज.जा.) बैंक प्रवर्तित योजनाएँ है।
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	Antyodaya Swarojgar Yojana (SC) Adiwasi Swarojgar Yojana Loan (ST)
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है।	आवश्यक नहीं पूर्व पेर्टन पर है।
	Whether any project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Not required. Based on previous pattern.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	निगम द्वारा उपरोक्त योजना बैंक के माध्यम से चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त निगम स्वयं के द्वारा (राज्य से) एवं राष्ट्रीय निगम से वित्त पोषित योजनाओं में सीधे ऋण सहायता देने एवं प्रषिक्षण कार्यक्रम का संचालन करता है। बैंक प्रवर्तित योजनाओं में निगम द्वारा प्रषिक्षित युवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है।
	Additional details if any	The scheme is being executed through banks. In addition to this, the corporation also provides direct loan and organises training under state sponsored and national corporation sponsored schemes. The youths trained by the corporation are also included in bank sponsored schemes.

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण विभाग का नाम :— छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों	परिवार मलक योजना
	सहित। (यदि कोई हो तो) यदि लागू होता	पारपार गूराक पाठाना
	हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी	
	उप—योजनावार प्रेषित करे।	
	Name of the Scheme with Sub-	
	components, if any	Family Oriented Oaksons
	, ,	Family Oriented Scheme.
2	क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य	राज्य शासन
	शासन द्वारा प्रवर्तित है?	
	Whether it is government of	State Government .
	India/State Government sponsored	
2	Scheme \ राज्य शासन के स्तर पर योजना	क्रम खाटी तथा मामोटोग होर्न
3	कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	ે.ગ. લાવા તથા પ્રાનાઘાંગ યાહ
	Nodal Department/Directorate at the	
	State level responsible for	CG Khadi and Gramodyog Board.
	implementing the Scheme	, ,
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्व्यन हेतु	खादी बोर्ड में जिला अधिकारी।
	उत्तरदायी नोडल विभाग।	
	Nodal office at the Distict level	District Officer of Khadi Board.
	responsible for implementing the Scheme	
5	योजना का उद्श्य।	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का
		सृजन करना।
	Objective of the Scheme	Employment Generation in rural
		areas.
6	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में	
	कियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो	कियान्वयन किया जा रहा है।
	यहां पर योजना कियान्वित की जा रही है	
	उन क्षेत्रों / जिलों / विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।	
	प्रशाय जाए। Whether the Scheme is being	
	implemented in all the districts of the	The scheme is being implemented in
	State? If not, indicate the regions/	all the districts of the State.
	districts/blocks where the Scheme is	
	under implementation	

7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत	सभी प्रकार के हितग्राहियों को योजनान्तर्गत
'	सम्मिलित किये गये है (लघु	
	कृषक / सीमांत कृषक / अन्य	
	कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित	
	जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/ पुरूष /	
	महिला आदि)	All types of Beneficiaries.
	Type of Beneficiaries covered under	
	the Scheme.	
	(SF/MF/OF/SC/ST/Others/ Men/	
	Women, etc.)	
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड यदि	
	कोई हो तो	डिफाल्टर न हो।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any	Age over 18 years and not a defaulter of bank.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह	व्यक्तिगत / समूह स्तर
	स्तर पर्/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर	
	पर / दोनो व्यक्तिगत व्यक्तिगत समूह स्तर	
	पर दी जाती है?	
	Whether assistance is provided on an	
	individual basis/both, individual and	Both individual & group basis.
10	group basis. प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण	परिवार मूलक योजना अनुसूचित जाति,
10	(यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के	अनुसूचित जनजाति , अल्प संख्यक एवं
	प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक	सामान्य वर्ग को परियोजना लागत के 50:
	प्रकार के हितग्राहियों के लिये अलग–अलग	या अधिकतक 13500/— अनुदान देय जो
	जानकारी प्रस्तुत की जायें)	भी कम हो।
	Whether assistance is provided on an	Maximum subsidy Rs. 13500/-
	individual/group basis or both.	Subsidy is providedto SC/ST/OBC/
		General / Minority Category family
		50% subsidy of the project cost or Rs.
11	क्या अनुवान के अनिविद्य निर्मानी रूप	13500/- whichever is less.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है यदि	
	हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के	אואאויו יופו פן
	लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जायें।	
	ाराच वर्ष जातावगरा त्ररपुरा वर्ग जावन	
	Whether any margin money is	
	envisaged from the beneficiary, other	No provision of marsis mass.
	than subsidy being provided. If so,	No provision of margin money.
	details there of may please be	
	provided for different categories of beneficiaries.	
1	DETICIONES.	

12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों	ऋण राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी बैंकों के
	योजनान्तर्गत अपेक्षित है?	माध्यम से तथा अनुदान बोर्ड द्वारा देय होता
	Type of econonic activities envisaged under the Scheme.	
	under the Scheme.	Loan amount is provided by National
		Bank & Cooperative Bank and subsidy is provided by the Department.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिये	अधिकतम एक लाख रूपये तक सीमा
13	कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की	निर्धारत है।
	गई है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण	
	प्रस्तुत करें?	
	Whether any ceiling has been fixed on	Maximum limit is Rs. 1.00 lacs.
	the financial outlay for a single	
	borrower/group. If so, please give	
	details.	
14	क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का	हितग्राही को बैंक द्वारा परियोजना लागत
	प्रावधान है?	अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाता है।
	Whether any bank Loan is envisaged	Loan is sanctioned to Beneficiaries as
	under the Scheme.	per Profect Cost.
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य	नहीं
	शासन द्वारा परियोजना रूपरेखा (प्रोजेक्ट	
	प्रोफाइल) तैयार कर लिये गये है?	
	Whether any project profiles etc. have	
	been prepared by the State	No
4.0	Government for the use beneficiaries.	
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	योजना का कियान्वयन बीस हजार से कम
	Additional details if any.	आबादी के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया
		जायेगा।
		Scheme implemented on Rural Areas,
		Population below twenty thousand.

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम:- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप— योजनावार प्रेषित की जाए)	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 12 वीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्गठित कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (NULM) कियान्वित किए जाने का निर्देष प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन राज्य में 1 अप्रैल 2014 से पूर्ण रुप से लागू है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन सात विभिन्न घटकों से कियान्वित की जावेगी:— • कौषल प्रषिक्षण के माध्यम से रोजगार • सामाजिक गतिषीलता एवं संस्थागत विकास • प्रषिक्षण और क्षमता निर्माण • स्व—रोजगार कार्यक्रम • शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना • शहरी पथ विकेताओं को सहायता • अभिनव और विषेष परियोजनाएं
	Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-components wise if applicable.	The Centrally sponsored scheme Swarna Jayanti Sahari Rojgar Yojana has been restructured and renaming as National Urban Livelihood Mission in the 12 th Five year plan. The National Urban Livelihood Mission implemented in the State from 1 st of April, 2014. National Urban Livelihood Mission will be implemented under 7 components • Employment through Skill Training & Placement • Social Mobilization & Institution Development • Capacity Building & Training • Self Employment Programme • Shelter for Urban Homeless • Support to Urban Street Vendors • Special / innovative Projects
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ।	यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, इसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंषदान

		क्रमषः ७५:२५ निर्धारित किया गया है ।
	Whether it is a government of India / State	This is a Centrally sponsored Scheme and the
	Government sponsored Scheme ?	financing of the Mission shall be shared between
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन	the Centre and the States/UTs in the ratio of 75:25. राज्य शासन स्तर पर योजना के क्रियान्वयन
		l
	हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण को
	Nedal Department/ Directorate at the State level	नोडल विभाग बनाया गया है। At the State Government level for the
	Nodal Department/ Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	implementation of Scheme, the State urban
	responsible for implementing the contents.	Development Agency will be the Nodal Agency.
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु	जिला स्तर पर योजना के कियान्वयन हेतु
	उत्तरदायी नोडल विभाग ।	प्रदेष के समस्त जिलों में नगरीय निकायों में
		सिटी मिषन प्रबंधन ईकाई गठित कर
		नोडल विभाग बनाये गये है।
	Nodal Office at the District Level responsible for	At the District level for the implementation of the
	implementing the Scheme.	Scheme, City Mission Management Unit will
		formed under concerned ULBs. City Mission Management Unit will working as Nodal agency.
		indiagononi onit wiii working do redda dgorloy.
5	योजना का उद्देष्य ।	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उदेष्य
		शहरी गरीब परिवारो को जमीनी स्तर पर
		संस्थाओं का निर्माण करके उनको लाभप्रद
		स्वरोजगार और कौषल के आधार पर वेतन
		मुक्त रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में
		सक्षम बनाना एवं उनकी गरीबी और असुरक्षा
		को दूर करना है।
	Objective of the Scheme	To reduce poverty and vulnerability of the urban
		poor households by enabling them to access gainful self-employment and skilled wage
		employment opportunities, resulting in an
		appreciable improvement in their livelihoods on a
		sustainable basis, through building strong
		grassroots level institutions of the poor.

6	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना कियान्वित की जा रहीं है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखण्डों के नाम दर्षाये जाए ।	12 वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (एनयूएलएम) को सभी जिला मुख्यालय नगरों एवं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 100,000 एवं उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी अन्य शहरों में कियान्वित किया जाएगा। विषिष्ट मामलों में राज्यों के अनुरोध पर अतिरिक्त शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रदेष में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन 28 शहरों में लागू होंगे, जिसमें राज्य के 27 जिला मुख्यालय एवं भिलाई शहर सम्मिलित होगें।
	Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State ? If mot, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation .	In the 12th Five Year Plan, NULM will be implemented in all District headquarter Towns and all other cities with a population of 100,000 or more as per 2011 Census. However, other towns may be allowed in exceptional cases on request of the States.
		In the State the National Urban Livelihood Mission will be implemented 28 cities, of which 27 District headquarter and Bhilai city will be included.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक / सीमान्त कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जानजाति अन्य पिछडे वर्ग / पुरूष / महिला आदि ।	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (एनयूएलएम) का लक्ष्य शहरी गरीबों से है। इन में से विषेष ध्यान शहरी बेघर, पथ विकेता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगो आदि जैसे वंचित समूहों पर होगा।
	Type of Beneficiaries covered under the Scheme (SF/MF/OF/SC/ST / Other / Men/Women etc)	The target population of the National Urban Livelihood Mission broadened to include families of disadvantaged groups like urban homeless, urban street vendors, SCs, STs, women, minorities, disabled etc.
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (एनयूएलएम) का लक्ष्य शहरी गरीब है। इन में से विषेष ध्यान शहरी बेघर, पथ विक्रेता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगो आदि जैसे वंचित समूहों पर होगा।
	Eligibility ceiteria for the beneficiary, if any	The target population of the National Urban Livelihood Mission broadened to include families of disadvantaged groups like urban homeless, urban street vendors, SCs, STs, women, minorities, disabled etc.

9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर	योजनान्तर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम (Self
	पर /दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर	Employment Programme) में स्वयं का रोजगार
	/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती	स्थापति करने के लिये आर्थिक सहायता
	है	(ऋण+अनुदान) व्यक्तिगत स्तर पर⁄समूह
		स्तर पर दोनों ही स्तर पर दिये जाने का
		प्रावधान है ।
	Whether assistance is provided on an individual	Yes, both individuals and groups are benefited in
	basis/group basis or both.	the scheme under various component.
		1. Individuals are benefited under Programme
		called SEP- I (Self Employment Programme) Loan
		& Subsidy. 2-Women self Helf groups are benifited under
		Programme SEP- G (Self Employment Programme
		Group) Loan & Subsidy.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि	व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए
	अनुदान की राषि, हितग्राहियों के प्रकार पर	परियोजना लागत की उच्चतम सीमा रुपए 2
	आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के	लाख तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के
	हितग्राही के अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की	लिए रुपए 10 लाख होगी। व्यक्तिगत अथवा
	जायें ।	सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक
	दर (%) न्यूनतम अधिकतम	ऋण पर 7% से अधिक ब्याज पर अनुदान
		दिया जाने का प्रावधान है।
		बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज पर
		अनुदान, बैंक ऋण प्राप्त करने वाले सभी
		स्वयं–सहायता समूहों पर भी लागू होगा।
		सभी शहरों में अपने ऋण का समय पर
		भुगतान करने वाले महिला समूहों को
		अतिरिक्त ३% ब्याज अनुदान प्रदान किये
		जावेगें।
		ong 11
	Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided	To establish the individual enterprise the maximum
	on the basis of the category of beneficiary please give	unit project cost limit would be of Rs 2.00 lakh and
	category-wise details Rate (%)	for group enterprise the maximum upper limit of
	Minimum Maximum	would be of Rs 10.00 lakh.
	GOI Contribution	Interest Subsidy over and above 7 percent rate of
	State Government Contribution	interest will be applicable to all SHGs accessing
		bank loan. An additional 3 percent interest
		subvention will be provided to all women SHGs/
		Individual who repay their loan in time in all the cities.
		ordoo.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई	
	मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हो तो	उद्यम् / परियोजना हेतु लागत सीमान्त राषि
	विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह	(मार्जिन मनी) का प्रावधान भारत सरकार

	जानकारी प्रस्तुत की जायें ।	द्वारा प्रेषित गाइड लाईन में वर्णित नहीं है, योजनांतर्गत समूह ऋण प्रकरण हेतु हितग्राहियों का लागत सीमान्त राषि (मार्जिन मनी) का निर्धारण बैंकों के अनुसार किये जाने का उल्लेख भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाइड लाईन में उल्लेख किया गया है।
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so details there of may please br provided for different categories of beneficiaries.	Under the Scheme margin money for Individual Enterprise is not mentioned in Guide Line provided by Gol.
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों योजनान्तर्गत अपेक्षित है ।	योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, रोजगारमुखी प्रषिक्षण दिलाना, शहरी पथ विकेताओं को सहायता, केडिट कार्ड के माध्यम से कार्यषील पूँजी की व्यवस्था किये जाने का उल्लेख गाइड लाईन में किया गया है।
	Type of economic activities envisaged under the Scheme	For the promotion of self employment of beneficiaries, under this component the beneficiaries will be supported for loan for manufacturing/ Service and Trading Activities.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाईड़ लाईन F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA दिनांक 18. 12.2013 के अनुसार योजनान्तर्गत हितग्राही को स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रूपये 2 लाख निर्धारित की गई है, और समूह लोन हेतु अधिकतम रुपये 10 लाख निर्धारित की गई है।
	Whether any celling has been fixed on the financial outly for a single borrower/group if so. Please give details.	As per the guidline forwarded the Govt. of India F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA fnukad 18-12-2013 Under this component, setting up of both individual and group micro enterprises will be supported. The project cost ceiling will be Rs. 2.00 lakh for individual enterprises and Rs. 10 Lakh for group enterprises.
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाईड़ लाईन F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA दिनांक 18. 12.2013 के अनुसार योजनान्तर्गत हितग्राही को स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रूपये 2 लाख निर्धारित की

		गई है, और समूह लोन हेतु अधिकतम रुपये 10 लाख निर्धारित की गई है।
	Whether any bank loan is envisaged unser the Scheme.	As per the guidline forwarded the Govt. of India F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA fnukad 18-12-2013, the project cost ceiling will be Rs. 2.00 lakh for individual enterprises and Rs. 10 Lakh for group enterprises
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप—रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है।	वित्तीय वर्ष 2015—16 के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन वार्षिक कार्य योजना आवास एवं शहरी गरीबी उपषमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिषा—निर्देषानुसार तैयार कर अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया जाना है।
	Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	The Annual Action plan for state is prepared as per the guideline of the Govt. of India and is approved by Govt. of India.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	प्रदेष में राष्ट्रीय शहरी जीविका मिषन 28 शहरों में लागू होंगे, जिसमें राज्य के 27 जिला मुख्यालय एवं भिलाई शहर सम्मिलित होगें। राज्य के शेष 141 निकायों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (NULM) के लिए प्रावधान नहीं है। प्रदेष के 141 निकायों में गरीबी उपषमन एवं कौषल उन्नयन हेतु राज्य प्रवर्तित योजना अंतर्गत पृथक परियोजना तैयार कर शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।
	Additional details if any	In the State the National Urban Livelihood Mission will be implemented 28 cities, of which 27 District headquarter and Bhilai city is included as per the guideline. Rest 141 ULBs are not covered under NULM guideline. In order to cover 141 ULBs, the separate state sponsored scheme for the promotion of Self employment and skill training formulated and sent to the Government of Chhattisgarh for approval.

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम:- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप— योजनावार प्रेषित की जाए)	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 12 वीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्गठित कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (NULM) कियान्वित किए जाने का निर्देष प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन राज्य में 1 अप्रैल 2014 से 28 शहरों में लागू है। शेष 141 निकायों में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिषन विभिन्न 5 घटकों से कियान्वित की जावेगी :— • कौषल प्रषिक्षण के माध्यम से रोजगार • सामाजिक गतिषीलता एवं संस्थागत विकास • प्रषिक्षण और क्षमता निर्माण • स्व—रोजगार कार्यक्रम • शहरी पथ विकेताओं को सहायता
	Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-components wise if applicable.	The Centrally sponsored scheme Swarna Jayanti Sahari Rojgar Yojana has been restructured and renaming as National Urban Livelihood Mission in the 12th Five year plan. The National Urban Livelihood Mission implemented in the State from 1st of April, 2014 in 28 cities. State Sponsored-Mukhyamantri Shahari Aajeevika Mission will be implemented under 5 components in 141 ULBs • Employment through Skill Training & Placement • Social Mobilization & Institution Development • Capacity Building & Training • Self Employment Programme
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन	Support to Urban Street Vendors यह योजना राज्य प्रवर्तित योजना है, इसमें
	द्वारा प्रवर्तित है । Whether it is a government of India / State Government sponsored Scheme ?	राज्य सरकार का अंषदान 100 प्रतिषत है । This is a State sponsored Scheme and the financing of the Mission shall borne by State in the ratio of 100%

3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	राज्य शासन स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण को नोडल विभाग बनाया गया है।
	Nodal Department/ Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	At the State Government level for the implementation of Scheme, the State urban Development Agency will be the Nodal Agency.
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग ।	जिला स्तर पर योजना के कियान्वयन हेतु प्रदेष के समस्त जिलों में 141 नगरीय निकायों में सिटी मिषन प्रबंधन ईकाई गठित कर नोडल विभाग बनाये गये है।
	Nodal Office at the District Level responsible for implementing the Scheme.	At the District level for the implementation of the Scheme, City Mission Management Unit will formed under concerned 141 ULBs. City Mission Management Unit will working as Nodal agency.
5	योजना का उद्देष्य ।	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन का उदेष्य शहरी गरीब परिवारो को जमीनी स्तर पर संस्थाओं का निर्माण करके उनको लाभप्रद स्वरोजगार और कौषल के आधार पर वेतन मुक्त रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना एवं उनकी गरीबी और असुरक्षा को दूर करना है।
	Objective of the Scheme	To reduce poverty and vulnerability of the urban poor households by enabling them to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities, resulting in an appreciable improvement in their livelihoods on a sustainable basis, through building strong grassroots level institutions of the poor.
6	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना कियान्वित की जा रहीं है उन क्षेत्रों / जिलों / विकासखण्डों के नाम दर्षाये जाए ।	आजीविका मिषन लागू है, को छोड़कर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिषन लागू की
	Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State ? If mot, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation .	State Sponsored- Mukhyamantri Shahari Aajeevika Mission will be implemented in 141 ULBs expect 28 NULM Mission Cites.

7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जानजाति अन्य पिछडे वर्ग/ पुरूष /महिला आदि ।	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिषन (एमयूएलएम) का लक्ष्य शहरी गरीबों से है। इन में से विषेष ध्यान शहरी बेघर, पथ विकेता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगो आदि जैसे वंचित समूहों पर होगा।
	Type of Beneficiaries covered under the Scheme (SF/MF/OF/SC/ST / Other / Men/Women etc)	The target population of the State Sponsored-Mukhyamantri Shahari Aajeevika Mission broadened to include families of disadvantaged groups like urban homeless, urban street vendors, SCs, STs, women, minorities, disabled etc.
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिषन (एमयूएलएम) का लक्ष्य शहरी गरीब है। इन में से विषेष ध्यान शहरी बेघर, पथ विकेता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगो आदि जैसे वंचित समूहों पर होगा।
	Eligibility ceiteria for the beneficiary, if any	The target population of the State Sponsored-Mukhyamantri Shahari Aajeevika Mission broadened to include families of disadvantaged groups like urban homeless, urban street vendors, SCs, STs, women, minorities, disabled etc.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर /दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर /दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है ।	योजनान्तर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम (Self Employment Programme) में स्वयं का रोजगार स्थापति करने के लिये आर्थिक सहायता (ऋण+अनुदान) व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर दोनों ही स्तर पर दिये जाने का प्रावधान है ।
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	Yes, both individuals and groups are benefited in the scheme under various component. 1. Individuals are benefited under Programme called SEP- I (Self Employment Programme) Loan & Subsidy. 2-Women self Helf groups are benifited under Programme SEP- G (Self Employment Programme Group) Loan & Subsidy.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राषि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जायें । दर (%) न्यूनतम अधिकतम	व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत की उच्चतम सीमा रुपए 0. 50 लाख तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए रुपए 2.00 लाख होगी। व्यक्तिगत अथवा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज पर अनुदान

		दिया जाने का प्रावधान है।
		बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज पर
		अनुदान, बैंक ऋण प्राप्त करने वाले सभी
		स्वयं–सहायता समूहों पर भी लागू होगा। सभी
		शहरों में अपने ऋण का समय पर भुगतान
		करने वाले महिला समूहों को अतिरिक्त 3%
		ब्याज अनुदान प्रदान किये जावेगें।
		G
	Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category-wise details Rate (%) Minimum Maximum	To establish the individual enterprise the maximum unit project cost limit would be of Rs 0.50 lakh and for group enterprise the maximum upper limit of would be of Rs 2.00 lakh.
	GOI Contribution	Interest Subsidy over and above 7 percent rate of
	State Government Contribution	interest will be applicable to all SHGs accessing bank loan. An additional 3 percent interest subvention will be provided to all women SHGs/Individual who repay their loan in time in all the cities.
11	क्या अनुरान के अतिरिक्त रित्यारी राज कोर्र	योजनान्तर्गत हितग्राहियों को व्यक्तिगत
	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हो तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जायें ।	योजनान्तर्गत हितग्राहियों को व्यक्तिगत उद्यम / परियोजना हेतु लागत सीमान्त राषि (मार्जिन मनी) का प्रावधान भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाइड लाईन में वर्णित नहीं है, योजनांतर्गत समूह ऋण प्रकरण हेतु हितग्राहियों का लागत सीमान्त राषि (मार्जिन मनी) का निर्धारण बैंकों के अनुसार किये जाने का उल्लेख भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाइड लाईन में उल्लेख किया गया है।
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so details there of may please br provided for different categories of beneficiaries.	Under the Scheme margin money for Individual Enterprise is not mentioned in Guide Line provided by Gol.
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों	योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत
	योजनान्तर्गत अपेक्षित है ।	हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक
		सहायता उपलब्ध कराना, रोजगारमुखी प्रषिक्षण
		दिलाना, शहरी पथ विकेताओं को सहायता,
		केडिट कार्ड के माध्यम से कार्यषील पूँजी की
		व्यवस्था किये जाने का उल्लेख गाइड लाईन
		में किया गया है।
	Type of economic activities envisaged under the Scheme	For the promotion of self employment of beneficiaries, under this component the beneficiaries

		will be supported for loan for manufacturing/ Service and Trading Activities.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाईड़ लाईन F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA दिनांक 18. 12.2013 के अनुसार योजनान्तर्गत हितग्राही को स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रूपये 2 लाख निर्धारित की गई है, और समूह लोन हेतु अधिकतम रूपये 10 लाख निर्धारित की गई है, किन्तु प्रथम वर्ष में व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत की उच्चतम सीमा रूपए 0. 50 लाख तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए रूपए 2.00 लाख होगी।
	Whether any celling has been fixed on the financial outly for a single borrower/group if so. Please give details.	As per the guidline forwarded the Govt. of India F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA fnukad 18-12-2013 Under this component, setting up of both individual and group micro enterprises will be supported. The project cost ceiling will be Rs. 2.00 lakh for individual enterprises and Rs. 10 Lakh for group enterprises. In first year to establish the individual enterprise the maximum unit project cost limit would be of Rs 0.50 lakh and for group enterprise the maximum upper limit of would be of Rs 2.00 lakh.
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाईड़ लाईन F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA दिनांक 18. 12.2013 के अनुसार योजनान्तर्गत हितग्राही को स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रूपये 2 लाख निर्धारित की गई है, और समूह लोन हेतु अधिकतम रूपये 10 लाख निर्धारित की गई है, किन्तु प्रथम वर्ष में व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत की उच्चतम सीमा रूपए 0. 50 लाख तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए रूपए 2.00 लाख होगी।
	Whether any bank loan is envisaged unser the Scheme.	As per the guidline forwarded the Govt. of India F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA fnukad 18-12-2013, the project cost ceiling will be Rs. 2.00 lakh for individual enterprises and Rs. 10 Lakh for group enterprises. In first year to establish the individual enterprise the maximum unit project cost limit would be of Rs 0.50 lakh and for group enterprise the maximum upper limit of would be of Rs 2.00 lakh.

15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप—रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है। Whether any project profiles etc. have been prepared	वित्तीय वर्ष 2015—16 के मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिषन वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया जाना है। The Annual Action plan for state is prepared and
	by the State Government for the use beneficiaries.	sent to Govt. of CG for approval .
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	प्रदेष में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन 28 शहरों में लागू होंगे, जिसमें राज्य के 27 जिला मुख्यालय एवं भिलाई शहर सम्मिलित होगें। राज्य के शेष 141 निकायों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (NULM) के लिए प्रावधान नहीं है। प्रदेष के 141 निकायों में गरीबी उपषमन एवं कौषल उन्नयन हेतु राज्य प्रवर्तित योजना मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिषन अंतर्गत पृथक परियोजना तैयार कर शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।
	Additional details if any	In the State the National Urban Livelihood Mission will be implemented 28 cities, of which 27 District headquarter and Bhilai city is included as per the guideline. Rest 141 ULBs are not covered under NULM guideline. In order to cover 141 ULBs, the separate state sponsored State Sponsored-Mukhyamantri Shahari Aajeevika Mission scheme for the promotion of Self employment and skill training formulated and sent to the Government of Chhattisgarh for approval .

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग का नाम :- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (01.04.2013 से प्रभावशील)

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (01.04.2013 से प्रभावशील)
	जानकारी उप—योजनावार प्रेषित की जाए)	<u> </u>
	Name of the Scheme with sub-components, if any (please give the following sub-component-wise, if applicable)	National rural Livelihood mission (w.e.f. 01.04.2013)
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ?	भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है
	Whether it is a Government of India/State Government sponsored Scheme ?	Government of India Sponsored Scheme.
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
	Nodal Department at the State Government level responsible for implementing the Scheme	Panchayat & Rural Development Department
4	जिला स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	समस्त जिला पंचायतें
	Nodal Department at the District level responsible for implementing the Scheme	All Zila Panchayat
5	योजना का उद्देश्य	ग्रामीण गरीब परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध
	Objective of the Scheme	कराकर उन्हें गरीबी से ऊपर उठाना ।
		To provide economic assistance to rural poor families to uplift from poverty.
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है । यदि नही तो कृपया यहां पर योजना	जी हाँ । राज्य की सभी 27 जिला पंचायतों के 146 विकासखंड में क्रियान्वित की जा रही है ।
	कियांन्वित की जा रही है, उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।	Yes, Implementing in 27 District Panchayat and all 146 Blocks of the State.
	Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? if not, kindly indicate the regions /districts/ blocks where the Scheme is under implementation.	
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमांन्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति /अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/पुरूष/महिला आदि)	इसमे पी.आई.पी. के अनुसार चयनित परिवारों को लाभान्वित किया जाता है ।
	Type of Beneficiaries covered under the Scheme.	As per PIP list identified families are benefited.

	(SF/MF/OF/ SC/ST/Other/Men/Women, etc.)	
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	इसकी विस्तृत दिशा निर्देश भारत शासन से आने
	Eligibility Criteria for the beneficiary, if any	वाली हैं।
		Detailed guide lines in this requrd is awaited.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है ।	केवल समूह स्तर पर
	Whether assistance is provided on an individual basis /group basis/both, individual and group basis.	Assistance would be provided to only on group basis.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए) दर (प्रतिशत) न्यूनतम, अधिकतम	प्रदान किया जावेगा। यह बैंक ऋण पी.एल.आर.
	Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate(%)	of the prompt repayment. There will be benchmark of 7% The difference between the PLR of Bank and 7%, would be interest
	Minimum	subsidy.
	Maximum GOI Contribution	
	State Government Contribution	
	भारत सरकार का अंशदान Government of India Share.	75 प्रतिशत 75%
		_
	राज्य सरकार का अंशदान State Government Share.	25 प्रतिशत 25%
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।	निरंक
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided If so, details there of may please be provided for different categories of beneficiaries.	Nil
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनानतर्गत अपेक्षित है । Type of economic activities envisaged under the Scheme.	प्राइमरी सेक्टर सेकेण्डरी सेक्टर एवं टर्सरी सेक्टर की उस विकास खण्ड हेतु चयनित कोई भी गतिविधि हेतु स्व— सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है । Any economic activities identified by the SHG under primary, secondary and tertiary sector can be provided.

13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुल
	कोई सीमा निर्धारित की गयी है । यदि हां तो कृपया	लागत की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। परियोजना
	इसका विवरण प्रस्तुत करें ।	की कुल लागत विनियोजन की आवश्यकतानुसार
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay	निर्धारित होती है ।
	for a single borrower /group. If so, please give details.	No ceiling has been fixed on financial outlay in
		National rural livelihood mission. Total cost of
		the project depends upon investment on project.
14	क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ।	जी हाँ ।
	Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.	Yes.
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा	जी हाँ इसके अंतर्गत समूह द्वारा स्वयं अपना
	परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए	माईको केडिट प्लान बनाया जावेंगा।
	गए है ।	
	•	Yes under this scheme the group will himself
	Whether any project profiles, etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	prepare micro credit plan.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।	निरंक
	Additional details, if any.	Nil

राज्य साख योजना 2016–17 STATE CREDIT PLAN 2016-17

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण विभाग का नाम :— महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ महिला कोष

144	ाग का नाम .— माहला एवं बाल विकास विमाग क	अधान छत्तासगढ़ महिला काष
1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि योजना लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप—योजनावार प्रेषित की जाए ।) Name of the scheme with sub- Components, if any.	 महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण योजना :—संचालन छ.ग.महिला कोष के माध्यम से किया जा रहा हैं । Loan scheme for Women SHG, which is conducted through CGMahila Kosh सक्षम योजना :— विधवा, तलाकशुदा तथा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलायें । Loan scheme for Widow, Divorcee, Unmarried Women-aged between 35
		to 40 years which is conducted
		through CGMahila Kosh.
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा	राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष को उपलब्ध
	प्रवर्तित हैं ।	कराई गई राशि से
	Whether is a Government of India/State	Through the fund made available to the
	Government sponsored Scheme?	C.G. Mahila kosh by State Government.
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु	महिला एवं बाल विकास विभाग(छत्तीसगढ़ महिला कोष
	उत्तरदायी नोडल विभाग	द्वारा संचालन)
	Nodal department/directorate at the State	Women & Child Development
	level responsible for implementing the	Department (conducted through CG
1	Scheme. जिला स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरीदायी	Mahila Kosh) जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं
4	नोडल विभाग	पदेन जिला प्रबंधक छ.ग.महिला कोष
	Nodal department/directorate at the State	District Officer Women & Child
	level responsible for implementing the	Development Department ex-officio
	Scheme.	District Manager, CG mahila kosh
5	योजना का उद्देश्य	1. महिला स्व-सहायता समूहों के लिये ऋण योजना
		अंतर्गत – महिला स्व सहायता समूहों का
	Objective of the Sahama	सुदृढ़ीकरण एवं वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना
	Objective of the Scheme	1. Under the loan scheme for Women SHG
		- Empowerment of Women SHGs &
		provide financial support for making
		women economically empowered.
		2- सक्षम योजना – ऐसी महिलायें जो जीवन–यापन में
		कठिनाई अनुभव कर रही है उन्हें आत्मनिर्भर
		बनाकर सम्मानजनक, स्वावलंबी व समृद्ध जीवन के
		अवसर उपलब्ध कराना ।
		2. Sakshama Yojna – To provide the
		independent and prosperous life and
		living opportunity to the women who
		are living in disastrous condition

6	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो जहां पर योजना कियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/ विकासखण्डों के नाम दर्शाये जाए ।	समस्त 27 जिले
	Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State? If not indicate the regions/districts/ blocks where	All 27 Districts.
	the Scheme is under implementation	
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरूष/महिला आदि) Type of beneficiaries covered under the Scheme. SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men Women etc.)	 1- ऋण योजना – महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु ऋण योजना अंतर्गत महिला स्व–सहायता समूह । 1- Rine Yojna - Women SHGs under the loan scheme for SHGs. (i) महिला स्वयं सहायता समूह हेतु ऋण योजना के अंतर्गत यौन उत्पीड़ित महिलाओं एवं एच.आई.व्ही पीड़ित महिलाओं हेतु ऋण सुविधा (i) Women SHGs under the loan scheme for Women involved in Prostitution and Women suffering from HIV Positive. 2. सक्षम योजना – ऐसी महिलायें जिनके पित की
		मृत्यु हो चुकी है अथवा जो तलाकशुदा है अथवा जो 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलायें है। 2. Sakshama Yojna - Widow, Divorcee, Unmarried Women-aged between 35 to 45 years
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदंड, यदि कोई हो तो	A. महिला स्व सहायता समूहों के लिये ऋण योजना :— योजना अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी महिला स्वयं सहायता समूह सहायता ऋण के लिए पात्र होंगे । 1. Loan Scheme for Women SHGs - Under this scheme rural and urban women SHG are eligible for loan. 2- ऋण प्राप्ति के लिए केवल "।" समूह के आवेदन ही विचार योग्य होंगे । For taking loan application of only "A" grade group will be considered. 3. स्वयं सहायता समूह गठन के एक वर्ष बाद ही ऋण आवेदन के लिये पात्र होगें । Self help groups will be eligible for Loan application only after one year of formation. 4- स्वयं सहायता समूह पूर्व में प्राप्त ऋण की पूर्ण अदायगी के एक माह पश्चात पुनः कोष से ऋण आवेदन हेतु पात्र होंगे । इसके लिए उनको पूर्व में दी गयी ऋण राशि की सभी fd'rksa dh okilh निर्धारित समय अवधि में किया जाना आवश्यक होगा

Self help group after payment of previous loan will again be eligible to apply for loan from kosh. For this it is necessary that they should have paid all the installments of loan taken earlier within the prescribed time.

5- ऋण स्वीकृति के समय महिला स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक गतिविधियों में सिक्यता एवं सामाजिक कियाकलापों में भागीदारी का भी ध्यान रखा जायेगा । उदारहण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण एवं अन्य सामाजिक मृद्दे ।

At the time of sanction of loan participation in social activities of self help group will be kept in mind. for eg. education, Health, Nutrition, Environment and other social issues.

6- स्वैच्छिक संगठन फर्मस् एवं सोसायटीज रिजस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होने चाहिए तथा पंजीकृत हुए तीन वर्ष पूर्ण हो चुकें हों ।

NGO should be registered under firms and societies registration Act and registration should have completed 3 years.

7- स्वैच्छिक संगठन महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता प्राप्त होना चाहिए ।

NGo should be recognized by Women & Child Development Department.

8. स्वैच्छिक संगठन महिला स्वयं सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के कार्य में संलग्न हो तथा इस क्षेत्र में कार्य का पर्याप्त अनुभव रखते हो इस हेतु कम से कम 25 नवीन स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं सशक्तिकरण का अनुभव होना आवश्यक होगा । पुराने कम से कम 25 स्वयं—सहायता समूहों को नये सिरे से संगठित करने व एक वर्ष तक संचालन करने में सहायता उपलब्ध कराने वाले स्वैच्छिक संगठन भी पात्र होंगे ।

NGO's should be attached with formation of Women SHG & empowerment and should have sufficient experience in this field. For this they should have experience of formation of at least 25 new SHG and their empowerment. Those NGOs who are working for re-organization of 25 old SHGs and have helped to run for at least one year will also be eligible.

9- स्वैच्छिक संगठन के द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह योजना अंतर्गत निर्धारित मापदंड को पूर्ण करते हो ।

Self Help group, which was constituted by NGO, should fulfill the prescribed norms.

10- स्वैच्छिक संगठन ऋण योजना में प्रावधानित

नियमों, शर्तो एवं प्रकियाओं को पालन करने के लिये सहमत हो तथा उक्त आशय का अनुबंध करने को तैयार हो ।

NGO should agree to follow the prescribed rules, conditions and procedure of loan scheme and should agree to sign agreement for the above said procedure.

11- स्वैच्छिक संगठन एक समय में 5 स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगें । यदि इनमें से किसी समूह द्वारा ऋण अदायगी पूर्ण कर ली जाती है तो वे पुनः 5 समूहों की निर्धारित सीमा के अंदर आवेदन कर सकेंगे । यदि कोई स्वैच्छिक संगठन 5 से अधिक स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो, पात्रता संबंधी सभी शर्ते पूर्ण होने की स्थिति में जिला ऋण समिति अनुशंसा सहित ऐसे आवेदन पत्र स्वीकृति संबंधी कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ महिला कोष के शासी बोर्ड को प्रेषित करेगी जो इन पर निर्णय लेने में सक्षम होगा ।

NGO can apply for loan application for 5 SHGs at a time. If any of the Group pays the loan amount then they can again apply for 5 SHG in prescribed limit. If any NGO applies for more than 5 SHG loan then in the condition of fulfilling all the eligibility criteria District Loan Committee will forward the loan application with their recommendation to Executive Board of Chhattisgarh Mahila Kosh who will take decision in this matter.

ब. सक्षम योजना :–

- 1- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएँ, जिनके पित की मृत्यु हो चुकी हैं अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की ऐसी महिलायें जो अविवाहित है अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलायें।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार न होने पर निम्न मध्यमवर्गीय आय की ऐसे हितग्राहियों को भी लाभांवित किया जा सकेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 70 हजार रूपये प्रतिवर्ष से कम हो तथा परिवार में महिला की आयु 18 से 45 वर्ष हो
- 3. पति की मृत्यु होने अथवा कानूनी रूप से तलाकशुदा होने की दशा में हितग्राही की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिये ।
- हितग्राही छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी होनी चाहिये ।
- 5- ऐसी महिला जिसने पति की मृत्यु उपरांत पुनः

		विवाह किया हो उसे इस योजना के अंतर्गत पात्रता नहीं होगी ।
		 योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के हितग्राहियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी प्रथम प्राथमिकता के लिए अधिक हितग्राही होने पर उनमें से न्यूनतम आयु सीमा के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी ।
		B. Sakshama Yojna 1.The women living below poverty line who has lost their Husband, Unmarried Women who are aged between 35 for 45 years or legally divorcee
		2. If the above beneficiary does belong to BPL family then the monthly Income of the family shall be below then 70000 per year and the Women in the family aged between 18 to 45 years
		3. The women who has lost their husband or who are legally divorcee shall be aged between 18 to 50 years
		4. The bens must be the original resident of chhattisgarh state
		5. The women who has lost their husband and they have remarried again with someone shell not be covered under the scheme.
		6. Bens belong to SC/ST category shall be given the topmost priority. The first priority will be given on the minimum age basis.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है Whether assistance is provided on an individual basis/individual and group basis	1-महिला स्व-सहायता समूह की ऋण योजनांतर्गत — समूह स्तर पर 2.महिला स्व-सहायता की ऋण योजना के अतंर्गत यौन उत्पीड़ित महिलाओं तथा एच. आई.व्ही संक्रमित महिलाओं के लिए ऋण योजना — व्यक्तिगत स्तर पर, समूह स्तर पर 1. Under the loan scheme - Group level.
		2. Under Women SHGs loan scheme for Women involved in Prostitution and Women suffering from HIV Positive. Lone Scheme - For individual
		Lone Scheme - For individu

and for Groups 2. सक्षम योजना अंतर्गत - व्यक्तिगत स्तर पर 2. Sakshama Yojna – Individual level 10 प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि 1.महिला स्व-सहायता समृह की ऋण योजनांतर्गत -अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित अनुदान नहीं ऋण प्रदान किया जाता हैं है तो कुपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राहियों के लिए प्रतिशत साधारण ब्याज पर व्यक्तिगत स्तर पर अलग-अलग जानकारी प्रस्तृत की जायें।) रूपये 10,000 / — तथा समृह स्तर पर रूपये 1,00,000 / — कलेक्टर द्वारा स्वीकृत करने के उपरांत यौन उत्पीडित महिलाओं को तथा एच.आई. व्ही. संक्रमित महिलाओं को प्रदान किया जाता है । Details of subsidy provided. If the 3 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर समृह को एवं 5.5 subsidy is provided on the basis of प्रतिशत ब्याज दर पर एन.जी.ओ. को ऋण प्रदान category of beneficiary, please give किया जाता हैं।(शासी बोर्ड बैठक में निर्णय हेत् category wise details rate (%) Minimum प्रस्ताव रखा जाना है ।) प्रथम बार में 50000 / – GOI Contribution Maximum State रूपये तक तथा इसके निश्चित समयावधि में Government contribution. भुगतान करने पर समूह को दूसरी बार में 200000 / – रूपये तक ऋण प्रदान किया जा सकेगा । 1. Under the loan scheme no Subsidy but only loan is provided. The rate of interest is 3% to individually up to 10,000/- and for Groups up 1,00,000/- to Women involved Prostitution and Women suffering from HIV Positive after passing by collector. The rate of interest is 3% to SHG group & 5.5% to NGO. (Decision is Pendin) First time loan is provided for up to Rs 50000/- & if the loan is repaid in the prescribed time limit a loan of Rs 200000/- can be povided to Groups for second time. 2.सक्षम योजनांतर्गत – कोई अनुदान नहीं दिया जाता है अपितृ स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतृ रूपये 1 लाख तक ऋण प्रदाय किया जाता है । 2. Under the Sakshama Yojna no Subsidy but only loan is provided to the individual. The rate of interest is 6.5%. The loan amount is up to 1 lakhs per bens. The loan is provided in the multiplication of Rs 20000 as per demand. The repayment period is 5 years.

11 क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।

नहीं ।

from the beneficiary, other than subsidy being provided if so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries. 12 किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ योजनांतर्गत 1.महिला स्व-सहायता समूह हेतु ऋण योजनांतर्गत	घु
please be provided for different categories of beneficiaries. 12 किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ योजनांतर्गत 1.महिला स्व-सहायता समूह हेतु ऋण योजनांतर्गत	घु
categories of beneficiaries. 12 किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ योजनांतर्गत 1.महिला स्व-सहायता समूह हेतु ऋण योजनांतर्गत	घु
12 किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ योजनांतर्गत 1.महिला स्व-सहायता समूह हेतु ऋण योजनांतर्गत	घु
1. 1801 (4 (1814)) (1/2) 8g set 414 (1/4)	घु
अपेक्षित है । लघु व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, ल	्रो ।
एवं कुटीर उद्योग आदि कोई भी आर्थिक गतिवि	۷
Type of economic activities envisaged जो समूह चाहता हैं।	
under the scheme. 1. Under the loan scheme for women se	- 1
help groups :- Small Busines	
Agriculture, Animal Husbandr	
Fisheries, Small Scale Industries et	- 1
any economic activity which SH	Ĵ
chooses.	
2-1क्षम् योजना अंतर्गत – स्वयं का व्यवसाय आर	भ
करने हेतु कोई भी गतिविधि ।	
2. Sakshama Yojna – Any activity to sta	rt
their own business. 13 क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिये कुल लागत 1. महिला स्व सहायता समूह हेतु ऋण योजनांतर	
13 क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिये कुल लागत 1. महिला स्व सहायता समूह हेतु ऋण योजनांतर की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो :–	
कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें । (1) 50000 / —तक ऋण प्रथम बार	
Whether any ceiling has been fixed on (2) 200000/ – तक ऋण द्वितीय बार	
the financial outlay for a single (3)महिला स्व—सहायता की ऋण योजना	क्रे
borrower/group. If so please give details. अतंर्गत यौन उत्पीड़ित महिलाओं तथा ए	व. │
आई.व्ही संक्रमित महिलाओं के लिए	
(i) रूपये 10,000 / — व्यक्तिगत स्तर फ	Ţ
(ii) रूपये 1,00,000 / — समूह स्तर पर	
1. Under the loan scheme for women se	lf
help groups :-	
(1) 50000/- Loan first time.	
(2) 200000/- Loan second time.	
(3) Under Women SHGs loan scheme for	r
Women involved in Prostitution an	d
Women suffering from HI	V
Positive.	
(i) 10, 000/- Lone for individual	
(ii) 1,00,000/- Groups	
2. सक्षम योजना अंतर्गत — कोष से प्रदाय किये ज	ने
वाले ऋण की सीमा 1 लाख रूपये लगाई गई	
। आवेदक अपनी राशि अतिरिक्त रूप से ल	П
सकते है ।	
2. Sakshama Yojna – The maximum lim	
of the loan provided under th	
scheme through kosh is Rs 1 lakhs pe	r

		bens. The bens shall add their own capital for the same up to any extend.
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैक ऋण का प्रावधान है ।	नहीं ।
	Whether any bank loan is envisaged	No
15	under the Scheme. क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन	योजना तैयार कर लागू की गई है ।
	द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल) तैयार	
	कर लिये गये हैं । Whather any project profiles etc. have	Scheme has been formulated.
	Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government	Scheme has been formulated.
	for the use beneficiaries.	
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।	- The copy of the both the scheme are
	Additional details, if any	enclosed

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण विभाग का नाम :— उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर

		संचालनालय, छत्तासगढ़ रायपुर
क्रमांक	विवरण	
1.	योजना का नाम उप	मुख्यमंत्री युवा स्व–रोजगार योजना
	योजनाओं के नाम सहित	
	(यदि कोई हो तो) (यदि लागू	
	होता हो तो कृपया निम्नांकित	
	जानकारी उप—योजनावार	
	प्रेषित की जाए)	Mukhya-mantri yuva swarojgar yojna
	Name of the scheme	
	with sub-Components,	
	if any.	
2.	क्या यह योजना भारत	राज्य शासन
	सरकार / राज्य शासन द्वारा	
	प्रवर्तित है।	
	Whether it is a	Govt. of Chhattisgarh
	Government of India/	
	State Government	
	Sponsored Scheme.	
3.	राज्य शासन के स्तर पर	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
	योजना क्रियान्वयन हेतु	
	उत्तरदायी नोडल विभाग	Department of commerce & Industries
	Nodal	
	department/Directorate	
	at the State level	
	responsible for	
	implementing the	
	Scheme.	
4.	जिला स्तर पर योजना	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
	कियान्वयन हेतु उत्तरदायी	
	नोडल विभाग	District trade & Industries Centre.
	Nodal office at the	
	district level	
	responsible for	
	implementing the	

	Scheme.	
5.	योजना का उद्देश्य	राज्य के युवा वर्ग को स्व-रोजगार के रूप में उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित करने में समग्र
	Objective of scheme.	सहायता उपलब्ध कराना ।
		To provide Complete help to
		unemployed youth of state.
6.	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है ? यदि नही तो कहां पर योजना कियान्वित की जा रही है , उन क्षेत्रों / जिलों / विकासखण्डों का नाम दर्शाये जाये ।	हां Yes
	Whether the Scheme is being implemented in all the district of the state? If no indicate the resion/district/blocks where the scheme is under implemention.	
7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलत किये गये है । (लघु कृषक / सीमांत कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ावर्ग / पुरूष / महिला आदि) Type of beneficiaries	सभी वर्ग सामान्य, अ०जा०, अ०ज०जा० एवं पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग विकलांग वर्ग के हितग्राही सम्मिलित है । i. e. General/SC/ST/ OBC/Women/Physically handicapped
	covered under the scheme (SF/MF/OF/SC/Other/Men/Women etc.)	etc. are covered under the scheme.

8.	हितग्राहियों के लिये पात्रता	1. आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो ।
	मापदण्ड, यदि कोई हो तो	2. न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो ।
		3. आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष हो ।
		(अजा० / अजजा० / अपिव० / महिला / निःषक्त
	Eligbility criteria for	जन / नक्सल प्रभावित परिवार के
	the beneficiaries, If	सदस्य / सेवानिवृत्त सैनिक हेतु आयु की
	any.	सीमा में 5 वर्ष में छूट)
		4. आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय
		संस्था / सहकारी बैंक का चूककर्ता
		(Defaulter) नही हो ।
		5. एक परिवार से मात्र एक ही व्यक्ति आवेदन
		कर सकेगा अर्थात इस योजना का लाभ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा ।
		6. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रू. 3.00
		लाख से अधिक नहीं हो (परिवार की
		परिभाषा में आवेदक के पति / पत्नि एवं बच्चे
		सम्मिलित होंगे । आवेदक अविवाहित होने
		की स्थिति में आवेदक के माता-पिता,
		अविवाहित भाई—बहन की आय भी
		सम्मिलत होगी)
		7. आवेदक जिन्होने प्रमंरोयो, प्रमंरोसृका. या
		भारत सरकार / राज्य शासन की किसी अन्य
		योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ लिया
		हो, पात्र नहीं होंगे ।
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर	व्यक्तिगत स्तर पर
	पर / समूह स्तर पर / दोनों	
	व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर	
	दी जाती है ।	Individual bassis
	Whether assistance is	
	provided on individual	
	basis/group basis or	
	borth.	
10.	प्रदान किये जा रहे अनुदान वि	षयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के

10. प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जावें)

Details of subsidy provided, if the subsidy in provided on the basis of category wise details rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution.

योजनांतर्गत बैंको / वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति की सुगमता एवं सहजता हेतु राज्य शासन द्वारा विनिर्माण उद्यम एवं सेवा उद्योगों हेतु भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इन्टरप्राईजेस योजना के अंतर्गत देय गारंटी शुल्क एवं वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान किया जायेगा ।

(क) गारंटी शुल्क एवं वार्षिक सेवा शुल्क की सहायता निम्नानुसार दी जायेगी :--

क.	हितग्राही की श्रेणी	भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट हेतु गारंटी
		शुल्क / वार्षिक सेवा शुल्क
1.	सभी वर्ग के लिये	बैंको / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर
		लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षो के
		लिये अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क

(ख) ब्याज अनुदान :- बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान उद्यम की स्थापना उपरांत राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा :-

	<u> </u>	The state of the s
क.	हितग्राही की श्रेणी	अनुदान / सीमा
1.	सामान्य वर्ग	प्रथम ऋण वितरण दिनांक से 5 प्रतिशत अनुदान
		(पांच वर्ष की अवधि तक)
		अधिकतम सीमा –
		सावधि ऋण पर — रू. 50000 प्रतिवर्ष
		कार्यशील पूंजी ऋण पर — रू. 25000 प्रतिवर्ष
2.	अ०जा० / अ०ज०जा० /	प्रथम ऋण वितरण दिनांक से 8 प्रतिशत अनुदान
	अ०पि०वर्ग / अल्पसंख्यक	(पांच वर्ष की अवधि तक)
	/ महिला / विकलांग /	अधिकतम सीमा —
	भूतपूर्व सैनिक / नक्सल	सावधि ऋण पर — रू. ७५००० प्रतिवर्ष
	प्रभावित-	कार्यशील पूंजी ऋण पर — रू. ४०००० प्रतिवर्ष

(ग) मार्जिन मनी अनुदान-

(./ .	1) 111 -13 (1)		
क.	हितग्राही की श्रेणी	मार्जिन मनी अनुदान	
1.	सामान्य वर्ग	बैंको / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना	
		लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रू. 1.00 लाख	
		तक	
2.	अ०पि०वर्ग / अल्पसंख्यक	बैंको / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना	
	/ महिला / विकलांग /	लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम रू. 1.50 लाख	
	भूतपूर्व सैनिक / नक्सल	तक	
	प्रभावित—		
3.	अ०जा० / अ०ज०जा०	बैंको / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना	
	वर्ग	लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 1.50 लाख	

	तक	
11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाये। Whether any Margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy beining provided if so, details there of may please be	मार्जिन मनी अनुदान के अतिरिक्त मार्जिन मनी की पूर्ति हेतु शेष राशि हितग्राही द्वारा दी जायेगी। Out of total margin money difference amount of margin money subsidy amount will be paid by entrepreneur.
12.	किस प्रकार के आर्थिक गतिविधियां योजना अन्तर्गत अपेक्षित है । Type of economic activities envisaged under the scheme.	उद्योग / सेवा / व्यवसाय Industries / Service / Business
13.	कृपया व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें । Whether any celling has been fixed on the financial outly for a single borrower /group If so please give details.	उद्योग हेतु अधिकतम रूपये 25 लाख। सेवा कार्य हेतु अधिकतम रूपये 10 लाख। व्यवसाय हेतु अधिकतम रूपये 2 लाख। For- Industrial activity max. 25 lakh Rs. Service activity max. 10 lakh Rs. Business activity max. 2 lakh Rs.
14.	क्या योजना अन्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ? Whether any bank loan	हां। Yes.
	which any bank toan	100.

	is envisaged under the	
	scheme	
15.	क्या हितग्राहियों के उपयोग	नहीं
	के लिये राज्य शासन द्वारा	
	परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट	
	प्राफाईल्स) तैयार कर लिये	
	गये है ?	No.
	Whether any projects	
	profile etc. have been	
	prepared by the state	
	govt. for the use of	
	इमदमपिबपंतपमे ६	
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई	वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिए जिलावार लक्ष्य
	हो तो ।	का वितरण वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वितरित
	Additional details if	किया जाना संभावित है ।
	any.	

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण विभाग का नाम :— उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक	विवरण	
1.	योजना का नाम उप योजनाओं	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
	के नाम सहित (यदि कोई हो	
	तो) (यदि लागू होता हो तो	
	कृपया निम्नांकित जानकारी	
	उप–योजनावार प्रेषित की जाए)	Prime Minister's
	Name of the scheme	Employment Generation
	with sub-Components,	Programme
	if any.	

2.	क्या यह योजना भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	भारत सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई द्वारा प्रवर्तित है ।
	Whether it is a	Yes,
	Government of India/	Government of India KVIC
	State Government	Sponsored Scheme.
	Sponsored Scheme.	1
3.	राज्य शासन के स्तर पर	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
	योजना क्रियान्वयन हेतु	
	उत्तरदायी नोडल	Khadi & Village Industries
	विभागNodal	Commision
	department/Directorate	
	at the State level	
	responsible for	
	implementing the	
	Scheme.	
4.	जिला स्तर पर योजना	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
	क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी	
	नोडल विभाग	Khadi & Village Industries
	Nodal office at the	Commission
	district level responsible	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
	for implementing the	District trade & Industries
	Scheme.	Centre.
		छ०ग० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
		Khadi & Village Industries
		Board C.G.
5.	योजना का उद्देश्य	नये स्वरोजगार
J.	वाजना का उप्यस्य	उद्यमों / परियोजनाओं / सूक्ष्म उद्यमों
		की स्थापना के माध्यम से देश के
	Objective of scheme.	ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के
		अवसरों का सृजन करना ।
		To generat employment
		opportunities in rural as well
		as urban areas of the country
		through setting up new self
		employment
	1	1 1

		ventures/projects/micro enterprises.
6.	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है ? यदि नहीं तो कहां पर योजना कियान्वित की जा रही है , उन क्षेत्रों / जिलों / विकासखण्डों का नाम दर्शाये	छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में योजना कियान्वित की जा रही है ।
	जाये । Whether the Scheme is being implemented in all the district of the state? If no indicate the resion/district/blocks where the scheme is under implemention.	The scheme is being implemented in all District of C.G. State.
7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है । (लघु कृषक / सीमांत कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य	सभी वर्ग सामान्य, अ०जा०, अ०ज०जा० एवं पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग विकलांग वर्ग के हितग्राही सम्मिलित है ।
	पिछड़ावर्ग / पुरूष / महिला आदि) Type of beneficiaries covered under the scheme (SF/MF/OF/SC/Other/ Men/Women etc.)	i. e. General/SC/ST/ OBC/Women/Physically handicapped etc. are covered under the scheme.
8.	हितग्राहियों के लिये पात्रता मापदण्ड, यदि कोई हो तो Eligbility criteria for the beneficiaries, If any.	 उम्र 18 वर्ष से अधिक हो । विनिर्माण के क्षेत्र से संबंधित 10.00 लाख से अधिक के परियोजनाओं तथा

		सेवा / व्यवसाय क्षेत्र में रू. 5.
		00 लाख से अधिक
		परियोजनाओं हेतु हितग्राहियों
		को कम से कम शैक्षणिक
		योग्यता आठवीं उत्तीर्ण हो ।
		1
		1- Age of beneficiaries
		should be above 18
		yaer.
		2- For setting up of
		project casting above
		Rs. 10.00 lakhs in the
		manufacturing sector
		and above Rs. 5.00
		lakhs in the
		business/Service
		Sector, the
		beneficiaries should
		prossess at least VIII
		Standerd pass
		_
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर	education qualification दोनों
9.	पर / समूह स्तर पर / दोनों	વાના
	व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर	
	दी जाती है ।	Doth
	Whether assistance is	Both
	provided on individual	
	basis/group basis or	
	borth.	
10.	प्रदान किये जा रहे अनुदान	सामान्य वर्ग— शहरी 15%, ग्रामीण
	विषयक विवरण (यदि अनुदान	25%, विशेष वर्ग— अ०जा०,
	की राशि, हितग्राहियों के प्रकार	अ०ज०जा० एवं पिछड़ा वर्ग,
	पर आधारित है तो कृपया	महिला आदि ।
	प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के	शहरी 25%, ग्रामीण 35 %
	लिये अलग–अलग जानकारी	
	प्रस्तुत की जावें)	For General – urban Sector-

11.	Details of subsidy provided, if the subsidy in provided on the basis of category wise details rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution. क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाये । Whether any Margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy beining provided if so, details there of may please be	15%, rural sector- 25% For Special categories (SC/ST/OBC/Min./Women/PH etc) Urban sector – 25% Rural sector- 35% सामान्य वर्ग— 10% मार्जिन मनी, विशेष वर्ग— अ०जा०, अ०ज०जा० एवं पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिये 5% मार्जिन मनी की पूर्ति अनुदान के अतिरिक्त मार्जिन मनी की पूर्ति हेतु हितग्राही द्वारा की जायेगी। General Category 10% Special category (SC/ST/OBC/Women etc.) 5% M.M own contribution
12.	किस प्रकार के आर्थिक गतिविधियां योजना अन्तर्गत अपेक्षित है । Type of economic activities envisaged under the scheme. कृपया व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिये कुल	उद्योग / सेवा क्षेत्र Industries / Service Sector उद्योग हेतु अधिकतम रूपये 25 लाख।
	लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें । Whether any celling has been fixed on the financial outly for a single borrower /group	सेवा कार्य हेतु अधिकतम रूपये 10 लाख। For Industries Maximum limit up to Rs. 25.00 lakhs For Service maximum limit up to Rs. 10 lakhs

	If so please give details.	
14.	क्या योजना अन्तर्गत कोई बैंक	हां।
	ऋण का प्रावधान है ?	
	Whether any bank loan	Yes.
	is envisaged under the	
	scheme	
15.	क्या हितग्राहियों के उपयोग के	नहीं ।
	लिये राज्य शासन द्वारा	
	परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट	
	प्राफाईल्स) तैयार कर लिये गये	
	食?	No.
	Whether any projects	
	profile etc. have been	
	prepared by the state	
	govt. for the use of	
	beneficiaries?	
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत
	हो तो ।	सरकार मुम्बई से वित्तीय वर्ष
	Additional details if	2016—17 में लक्ष्य प्राप्ति उपरांत
	any.	जिलों को आबंटित किये जायेंगे ।

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम :- संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सिहत। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप—योजनावार प्रेषित की जाए।)	1) बैंक ऋण पर फलोद्यान अ. केला ब. पपीता स. आम 2) अनुबंधित उद्यानिकी फसल क्षेत्र विस्तार योजना
	Name of the scheme with Sub-Components, if any.	1) Fruit Plantation on Bank Loan Banana Papaya Mango 2) MOU of Aromatic Crops
2	क्या यह योजना भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है। Whether it is a Government of India/state	1) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना 2) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना 1) State & Central Govt. Scheme
3	Government sponsored Scheme? राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	2) State & Central Govt. Scheme उद्यानिकी (कृषि विभाग)
	Nodal department/directorate at the State level responsible	Horticulture Department (Agriculture Department)
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	उप/सहायक संचालक उद्यान
	Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	Dy./Asst. Directore Horticulture
5	योजना का उद्देश्य	* व्यवसायिक केलों की खेती को बढ़ावा देना * व्यवसायिक पपीता की खेती को बढ़ावा देना * व्यवसायिक आम की खेती को बढ़ावा देना * कृषकों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु फल एवं औषधीय फसलों की खेती की योजना
	Objective of the Scheme.	* To Promote the Commercial Cultivation of Banana * To Promote the Commercial Cultivation of Papaya * To Promote the Commercial Cultivation of Mango * Cultivation of fruit and medicinal crops for Additional Income of farmers
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों / जिलों / विकासखंडो के नाम दर्शाये जाए।	1. अ — सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। ब — सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। स — सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। 2. सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

	Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State? If not indicate	a - Being implemented in all Distt. b - Being implemented in all Distt.
	the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	c - Being implemented in all Distt. 2. Being implemented in all Distt.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक / सीमान्त कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पुरूष / महिला आदि ।	1) सभी वर्ग के सिंचाई सुविधा युक्त कृषक। 2) सिंचाई साधन युक्त भू—स्वामी कृषक।
	Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/Wonen etc.	All types of farmers alongwith irrigation facilities Land holding farmers for identified crops.
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड यदि कोई हो तो	1) नाबार्ड द्वारा नियत मापदंड 2) चयनित फसल उगाने हेतु उपयुक्त भूमि के भू—स्वामी कृषक
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	 As per criteria prescribed by the NABARD. Landowner farmer of the land to produce identified crops.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	1) व्यक्तिगत स्तर पर2) व्यक्तिगत / समूह स्तर पर
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis both individual and group basis.	Individual Individual/Group
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।)	अ. अनुदान प्रति हे. 50000 / —अधिकतम (लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दो किस्तों में 75:25 के अनुपात में) तथा एक हितग्राही हेतु अधिकतम 4 हें. हेतु अनुदान। ब. अनुदान प्रति हे. 30000 / —अधिकतम (लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दो किस्तों में 75:25 के अनुपात में) तथा एक हितग्राही हेतु अधिकतम 4 हें. हेतु अनुदान। स. प्रति हेक्टर हेतु अनुदान रू.10937.50 जिसमें प्रथम वर्ष 3967.50 द्वितीय वर्ष 1395 / — एवं तृतीय वर्ष 1635 / —रूपये चतुर्थ वर्ष 1897.50 एवं पंचम वर्ष में 2042.50 एक हितग्राही हेतु अधिकतम 2 हें. या 25 प्रतिशत अनुदान। 2. प्रत्येक कृषक को आम क्षेत्र विस्तार योजना, औषधीय एवं सुगंधित फसल विस्तार योजना तथा टपक सिंचाई योजना की लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा।
	Detail of subsidy provided if the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government contribution	a. Per hec. Rs. 50000/- maximum (40% of cost narms in 2 instalment) & maximum up to 4 hac. Subsidy per beneficiary. b. Per hec. Rs. 30000/- maximum (50% of cost narms in 2 instalment) & maximum up to 4 hac. Subsidy per beneficiary. c .Per hectare subsidy is Rs. 10937.50 in which first year subsidy is 3967.50 for second year Rs. 1395/- 3rd year Rs.1635 /- 4th year Rs.1897.50 and 5th year Rs. 2042.50 will be paid and maximum subsidy for 2 hectare or 25% 2.Maximam 25% subsidy will be provided to each farmer for mango plantation. Aromatic & Medicinal Crops & Drip Irrigation.

11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।	नहीं
	whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other then subsidy being provided if so,details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	No
12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है ।	 केले की बगीचे लगाना पपीता के बगीचे लगाना आम के बगीचे लगाना आम फलोद्यान एवं अंतराशस्य, पचौली, खस, लेमनग्रास, जामारोजा फसल लगवाना तथा उनका विक्रय भी एम.ओ.यू.
	Type of economic activities envisaged under	के तहत सुनिश्चित करना । 1. Plantation of Banana.
	the scheme.	 Plantation of Papaya. Plantation of Mango. Plantation of Mango and inter culture cropping, Pacholi, Khas, Lemongrass, Jamaroja and sale through MoU.
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	अ. लागत राशि रू. 125000 / — प्रति हे. तथा एक हितग्राही हेतु अधिकतम ४ हें. हेतु अनुदान ब. लागत राशि रू. 60000 / — प्रति हे. तथा एक हितग्राही हेतु अधिकतम ४ हें. हेतु अनुदान स. रू. 43750 / — प्रति हे. एक हितग्राही के लिए 2 हे. अधिकतम 87500 / —
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give detils.	 1.Narm cast Rs. 125000/- per Hect. & maximum up to 4 hac. Subsidy per beneficiary. 2 Narm cast Rs. 60000/- per Hect. & maximum up to 4 hac. Subsidy per beneficiary. 3. Per beneficiary Rs. 43750/- per Hect. & maximum upto 2 Hect. is Rs. 87500/-
14	क्या योजनांतर्गत कोई ऋण का प्रावधान है ।	हां
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	Yes.
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं।	हां हां
	Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Yes Yes
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।	प्रति हे कॉस्ट लागत नाबार्ड द्वारा परिवर्तित होने पर एवं ऋण मांग परिवर्तनीय होगा। कोई विशेष नहीं।
	Additional details, if any	The loan amount will change if NABARD changes the unit cost of the crop. No any prescribed details.

राज्य साख योजना 2016-2017

STATE CREDIT PLAN 2016–2017

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम :- संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

וישו	ाग का नान - सवालनालय उद्यानका एप	
1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सिहत। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप— योजनावार प्रेषित की जाए।)	(ड्रिप सिंचाई) 2) राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत 1 हाइटेक नर्सरी की स्थापना (4 हे.) 2. मशरूम स्पान यूनिट 3. संरक्षित खेती के लिए प्राकृतिक वातायन प्रणाली अन्तर्गत टयुबलर स्ट्रक्चर का निर्माण 4. उद्यानिकी यंत्रीकरण 5. प्रिजरवेशन यूनिट (लो कास्ट) 6. कोल्ड स्टोरेज
	Name of the scheme with Sub-Components, if any.	 Prime Ministar drip Irrigation 1. Model Nursery(4 Ha.) 2. Mushrooms Spawn Unit 3. Green House Structure under Protected Cultivation 4. Horticulture Mechanization 5. Prijarvation Unit (Low Cast) 6. Cold Storage Unit
2	क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य शासन	1) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना
	द्वारा प्रवर्तित है।	2) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना
	Whether it is a Government of	1) State & Central Govt. Scheme
3	India/state Government sponsored Scheme ? राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु	2) State & Central Govt. Scheme उद्यानिकी (कृषि विभाग)
	उत्तरदायी नोडल विभाग।	(13,11,14,11,17)
	Nodal department/directorate at the State level responsible	Horticulture Department (Agriculture Department)
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	उप/सहायक संचालक उद्यान
	for implementing the Scheme.	
5	योजना का उद्देश्य	उपलब्ध जल की अधिकतम उपयोग हेतु महत्वाकांक्षी योजना। उद्यानिकी फसलों का विकास एवं उत्पादन के पश्चात खराब होने से बचाने की योजना।
	Objective of the Scheme.	To increase Water used efficiency of available water . To protect crops after production.
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों / जिलों / विकासखंडो के नाम दर्शाये जाए।	1. सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। 2. उन्नीस जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। (जगदलपुर, कोण्डागांव ,कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जशपुर ,कोरिया, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद एवं राजनांदगांव)

	Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State? If not indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	Being implemented in all Distt Being implemented in Nineteen District (Bastar, Kondagoan, kabirdham, Bilaspur, Mungeli, Raigarh, Sarguja, Balrampur, Surajpur, Korba, Durg, Balod, Bemetara, Jashpur , Koriya, Raipur, Balodabazar, Gariyaband & Rajnandgaon.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक / सीमान्त कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पुरूष / महिला आदि ।	1) सभी वर्ग के भू—स्वामी कृषक।
	Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/Wonen etc.	All types of Land holding farmers.
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड यदि कोई हो तो	1) भू—स्वामी कृषक जिनके पास ड्रिप / स्प्रींकलर प्रणाली लगाने हेतु उपयुक्त खडी फसल हो ।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	As per criteria prescribed by the NABARD. Landowner farmer of the land to produce identified crops.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	1 — व्यक्तिगत स्तर पर 2— व्यक्तिगत स्तर पर
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis both individual and group basis.	1 . Individual. 2 . Individual
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।	 1— संपूर्ण सहायता लागत के 40 प्रतिशत होगी। यह सहायता निर्धारित फसल एवं फसलों के बीच की दूरी के आधार पर अधिकतम 5 हेक्टेयर तक देय होगा। 2 1. एक (4 हे.) नर्सरी हेतु रू 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 40 लाख अधिकतम अनुदान। 2. प्रति हितग्राही 1000 वर्ग मीटर हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रू. 6.00 लाख अनुदान। 3. प्रति हितग्राही दो इकाईयों तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रू. 2.65 लाख अनुदान। (प्रत्येक यूनिट 500 वर्ग मीटर से अधिक न हो।) 4. प्रति हितग्राही एक सेट के सीमित होने तक लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 75000 / — एवं 20 हार्सपावर से अधिक की मशीनो हेतु अधिकतम रू. 1.50 लाख। 5. नई यूनिट रू. 1.00 लाख प्रति यूनिट एवं उन्नयन हेतु 0. 50 लाख प्रति यूनिट सहायता अनुदान। 6. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान परियोजना के लागत 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 140.00 लाख।

11.	Detail of subsidy provided if the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government contribution Credit linked back-ended subsidy @ 25 % of the total project cost in general areas and 33.33% in case of Hilly & Tribal Areas. b. Credit linked back-ended subsidy @ 25% of the total project cost in general areas and 33.33% in case of Hilly & Tribal Areas. au अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।	1- The assistant will be limited to 40 % of the cost of the System for the specified crop spacing and for the area Covered under the crop by the farmer. 2- 1. For 4 Ha. Nurse Rs. 40.00 Lac maximum 2. @ 50 % subsidy of the cost limited to 1000 sq. m. per beneficiary . maximum Rs. 6.00 Lac. 3. limited to 2 units not to exceed 500 sq.m per beneficiary.@ 50 % subsidy maximum Rs 2.65 Lac. 4 @ 50 % subsidy of the cost limited to one set per beneficiary . maximum Rs. 0.75 Lac.& . maximum Rs. 1.50 Lac for above 250 H.P. Machines. 5. For new unit 1.00 lac per unit. 6. Credit linked back-ended subsidy @ 40 % of the total project 40 %. maximum Rs 140.00 Lac.
	whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other then subsidy being provided if so,details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	No
12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है ।	 फल,सब्जियों ,औषधि एवं सुगंधित फसलों के लिए कृषक प्रक्षेत्र पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की स्थापना । कृषक प्रक्षेत्र पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना ।
	Type of economic activities envisaged under the scheme.	1- Establishment of Drip/Sprinklar System i the farmer's 2- Establishment of Cold Storage in the farmer field .
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	1. रू. 26500 / — प्रति हे. एक हितग्राही के लिए 5 हे. अधिकतम 2— 50.00 लाख प्रति इकाई प्रति हितग्राही
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give detils.	 Per beneficiary Rs. 26500/- per Hect. Max. upto 5 Hect. 140.00 Lakh per unit Per beneficiary
14.	क्या योजनांतर्गत कोई ऋण का प्रावधान है ।	हां
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	Yes
15.	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं।	हां
	Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Yes.
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।	कोई विशेष नहीं
	Additional details, if any	No any prescribed details

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों	" कृषि यांत्रिकीकरण पर सबिमशन" अन्तर्गत अनुदान पर कृषि यंत्रों ।
	सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो,	के वितरण की योजना
	तो कृपया निम्नांकित जानकारी योजनावार	(i) ट्रैक्टर / पावर टिलर क्रय पर अनुदान ।
	प्रेषित की जाए।)	(ii) हस्त चलित / बैल चलित / शक्ति चलित यंत्रों पर अनुदान।
	Name of the Scheme with sub-	Promotion of Farm Mechanization in Sub mission
	components (if any please give the	(i) Subsidy on Purchase of Tractor/Power Tiller
	following details sub-component wise if	(ii) Subsidy on Hand Operated/Bullock Driven/Power Driven
	applicable.	Agricultural Implements.
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन	केन्द्र प्रवर्तित योजना
-	द्वारा प्रवर्तित है ?	Central Sponored Scheme
	Whether it is a Government of India/State	
	Government sponsored scheme?	
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन	कृषि संचालनालय छ.ग. रायपुर।
	हेत् उत्तरदायी नोडल विभाग।	Directorate of Agriculture CG Raipur.
	Nodal Department/Directorate at the State	2 or rightenion of runpui.
	level responsible for implementing the	
	Scheme.	
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु	उप संचालक कृषि, कृषि विभाग।
'	। उत्तरदायी नोडल विभाग।	Dy Director Agriculture, Department of Agriculture.
	Nodal Office at the district level	p = 1.00001.1.g.1.0.1.01.2.0, = 0put.timent of 1.1.g.1.0.1.01.01.
	responsible for implementing Scheme.	
5	योजना का उद्देश्य.	कृषकों को कृषि यांत्रिकीकरण हेतु प्रोत्साहित कर यांत्रिकीकृत खेती को
	Objective of the Scheme.	बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन बढ़ाने और श्रम, समय तथा धन की बचत
		करना।
		Promotion of Farm mechanization through saving of time &
		labour of Farmers & increaring the crop production
6.	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित	यह योजना सभी जिलों में क्रियान्वित हो रही है।
"	की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर	This Scheme is being implemented in all districts of State.
	योजना क्रियान्वित की जा रही उन	This seneme is soming impremented in an accurate or seneme.
	क्षेत्रों / जिलों / विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।	
	Whether the Scheme is being implemented in	
	all the districts of the State ? If not, kindly	
	indicate the regions/districts/blocks where the	
	Scheme is under implementation	
7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत	योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के कृषक सम्मिलित है।
'	सिमालित किये गये है। (लघु कृषक/सीमांत	All types of Beneficiaries are covered under the scheme.
	कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति /	An types of beneficialies are covered under the scheme.
1		
	अनुस्राचत जनजाति / अन्य । ५७७ वर्ग / ५५०४	
	अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग / पुरूष महिला आदि)	
	महिला आदि)	
	महिला आदि) Type of beneficiaries covered under the	

8.	हितग्राहीयों के लिए पात्रता मानदण्ड, आदि कोई	गोजन	ा के अंतर्गत सभी ।	रकार के कार	ह स्रम्मित्रित है।		
0.	हो तो		योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के कृषक सम्मिलित है। All types of Beneficiaries are covered under the scheme.				
	Eligibly criteria for the beneficiary if any.	Anty	pes of Belleficial	ies are cover	ied under the sc	meme.	
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर	ट्रैक्टर/पावर टिलर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर सहायता व्यक्तिगत रूप					
J 9.	पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों		्ट्रपटर / पापर १८लर एप अन्य कृषि यत्रा पर सहायता प्यापतागत रूप स दी जाती है।				
	व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।		• •				
	Whether assistance is provided on an		In case of, Tractor/Power Tiller and other agricultural impleme subsidy is given on individual basis.				
	individual basis/ group basis/both	54051	ay 15 given on me	ii vidaai oasi	J.		
	individual and group basis.						
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण	नवीन व	कृषि यांत्रिकीकरण सब	मिशन अंतर्गत वि	वेभिन्न यंत्रों पर अनु	दान देय का विवरण	
	(यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार			शक्ति का	नवीन कृषि यांत्रिक	र्ग सबमिशन अंतर्गत	
	पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के	क्र	यंत्र का नाम	वितरण	_	वाला अनुदान	
	हितग्राही के लिए अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत					अजा/अजजा/	
	की जाए।				अन्य वर्ग के	लघु एवं सीमान्त	
	दर (प्रतिशत्) न्यूनतम अधिकतम				हितग्राहियों हेतु	कृषक एवं महिलाओं हेतु	
	Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of				कीमत का 25%	कीमत का 35%	
	beneficiary please give category wise				(अधिकतम सीमा	(अधिकतम सीमा	
	details Rate (%)			8—15	रू. 0.75	रू. 1.00	
	Minimum, Maximum	1	ट्रैक्टर	एच.पी	लाख / –)	लाख / –)	
	GOI Contribution		Tractor	(8-15	25% of	35% of total	
	State Government Contribution			PTO hp)	total cost & max	cost & max	
					0.75 lakh/-	1.00 lakh/-	
					कीमत का 25%	कीमत का 35%	
					(अधिकतम सीमा	(अधिकतम सीमा	
				15-20	रू. 0.75	रू. 1.00	
				एच.पी	লাख / –)	लाख/—)	
				(15-20	25% of	35% of total	
				PTO hp)	total cost & max	cost & max	
					0.75 lakh/-	1.00 lakh/-	
					कीमत का 25%	कीमत का 35%	
				20-40	(अधिकतम सीमा	(अधिकतम सीमा	
				एच.पी	रू. 1.00	रू. 1.25	
				(Above	লাख / –)	লাख / –)	
				20-40	25% of total cost &	35% of total cost &	
				PTO hp)	max ,	max ,	
					1.00 lakh/-	1.25 lakh/-	
					कीमत का 25%	कीमत का 35%	
				40-70	(अधिकतम सीमा	(अधिकतम सीमा	
				एच.पी	रू. 1.00	रू. 1.25	
					लाख/-) 25% of	লাख/—) 25% of total	
				(40-70	25% of total cost &	35% of total cost &	
				PTO hp)	max ,	max `	
					1.00 lakh/-	1.25 lakh/-	
					कीमत का ४०%	कीमत का 50%	
			_	८ बी.एच.पी	(अधिकतम सीमा	(अधिकतम सीमा	
		2	2 पावर टिलर,	से कम	रू. 40000 / −)	रू. 50000 / −)	
			Power Tiller	(Below 8	40% of	50% of total	
				bhp)	total cost & max	cost & max. `50000/-	
		Ц		<u> </u>	шал	50000/-	

			40000/-	
		8 बी.एच.पी एवं अधिक (Above 8 bhp)	कीमत का 40% (अधिकतम सीमा रू. 60000 / –) 40% of total cost & max. ` 60000/-	कीमत का 50% (अधिकतम सीमा रू. 75000 / –) 50% of total cost & max. `75000/-
3	स्वचलित पैडी ट्रांसप्लांटर Self Propelled Rice Transplanter	4 rows	कीमत का 40% (अधिकतम सीमा रू. 75,000 / –) 40% of total cost & max. `75000/-	कीमत का 50% (अधिकतम सीमा रू. 94,000 / –) 50% of total cost & max. `94000/-
	स्वचलित पैडी ट्रांसप्लांटर Self Propelled Rice Transplanter	Above 4 rows upto 16 rows	(अधिकतम सीमा रू	का 40% 5. 200000 / -) 40% max. `200000/-
4	स्वचलित रीपर कम बाईडंर Self Reaper cum binder		कीमत का 40% (अधिकतम सीमा रू. 100000 / –) 40% of total cost & max.` 100000/-	कीमत का 50% (अधिकतम सीमा रू. 125000 / —) 50% of total cost & max .` 125000/-
5	विशेष स्व चलित यंत्र जैसे : — रीपर, पोस्ट होल डिगर / न्यूमेटिक / अन्य प्लांटर Specialized Self Propelled Machinery :- Reaper post hol, Digger/Augur,Pn eumatic/ other planter		कीमत का 40% (अधिकतम सीमा रू. 50,000 / –) 40% of total cost & max. `50000/-	कीमत का 50% (अधिकतम सीमा रू. 63000 / –) 50% of total cost & max.` 63000/-
6	द्रैक्टर / पावर टिलर चिलत यंत्र जैसे : मोल्ड बोर्ड / डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर,ब्लेड, केंज व्हील, फरो ओपनर, रिजर,, लेवलर वेंड लेवलर, रिवर्सीबल मैकेनिकल प्लाऊ Tractor power tiller equipments :- MB Plow, Disc Plow, Cultivator, Herrow, leveler, Blade, cage wheel, Furrow opener, Laser Land Leveller, Reversible Mechanical Plough	ट्रैक्टर (20 बी. एच.पी. से कम) Tractor (Below 20 bhp)	अधिकतम सीमा रू. 12,000 / – Max. ` 12000/-	अधिकतम सीमा रू. 15,000 / — Max.` 15000/-

		ट्रैक्टर (20 से अधिक 35 बी. एच.पी. तक) Tractor (Above 20 to Below 35 bhp)	अधिकतम सीमा रू. 15,000/– Max.` 15000/-	अधिकतम सीमा रू. 19,000 / — Max.` 19000/-
	ट्रैक्टर चिलत यंत्र जैसे : मोल्ड बोर्ड / डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर,ब्लेड, केज व्हील, फरो ओपनर, रिजर,, रिवर्सीबल मैकेनिकल प्लाऊ Tractor equipments:- MB Plow, Disc Plow, Cultivator, Herrow, leveler, Blade, cage wheel, Furrow opener, Reversible Mechanical Plough	ट्रैक्टर (35 बी. एच.पी. से अधिक) Tractor (Above 35 bhp)	अधिकतम सीमा रू. 35,000/— Max.` 35000/-	अधिकतम सीमा रू. 44,000 / – Max.` 44000/-
	ट्रैक्टर चिलत यंत्र जैसे : लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर रिवर्सीबल, हाईड्रोलिक प्लाऊ, बंड फार्मर (पी.टी.ओ आपरेटेड) पावर, हैरो (पी.टी.ओ आपरेटेड), बैकहो लोडर डोजर (ट्रेक्टर आपरेटेड) Tractor equipments :- Laser land levelller, Rotavator, Rotopuddler, Reversible Hyderaulic Plough, Bund Farmer (PTO operated) Power Harrow (PTO Operated), Backhoe Loader Dozer(Tractor, रोटो पडलर, Operated)	ट्रैक्टर (35 बी. एच.पी. से अधिक) Tractor (Above 35 bhp)	अधिकतम सीमा रू. 50,000 / – Max.` 50000/-	अधिकतम सीमा रू. 63,000 / – Max.` 63000/-
7	द्रैक्टर / पावर टिलर चलित यंत्र जैसे : रोटावेटर, रोटो पडलर, रिवर्सीबल हाईड्रोलिक प्लाऊ Tractor/ Power Operated :- Rotavator, Rotopuddler, Reversible Hyderaulic Plough.	ट्रैक्टर (20 बी. एच.पी. से कम) Tractor (Below 20 bhp)	अधिकतम सीमा रू. 28,000 / – Max.` 28000/-	अधिकतम सीमा रू. 35,000 / — Max.` 35000/-
		ट्रैक्टर (20 से अधिक 35 बी. एच.पी. तक) Tractor (Above 20 to Below 35 bhp)	अधिकतम सीमा रू. 35,000 /— Max.` 35000/-	अधिकतम सीमा रू. 44,000 / – Max.` 44000/-
8	ट्रैक्टर / पावर टिलर चलित, बोआई, रोपाई, कटाई, एवं खुदाई के यंत्र जैसे :— ट्रैक्टर	ट्रैक्टर (20 बी. एच.पी. से कम) Tractor (Below 20	अधिकतम सीमा रू. 12,000 / – Max.` 12000/-	अधिकतम सीमा रू. 15,000 / — Max.` 15000/-

		चलित रीपर, जीरो	bhp)		
		टिलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल			
		Tractor/ Power			
		Tiller Sowing,			
		Plating, Reaping &			
		Digging :- Tractor			
		Drawn reaper, Zero			
		till seed cum			
		fertilizer drill,	ट्रैक्टर (20 से		
			द्रपटर (20 स अधिक 35 बी.		
			एच.पी. तक)		
			Tractor	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
			(Above 20	रू. 15,000 ∕ −	रू. 19,000 ∕ -
			to Below	Max.` 15000/-	Max.` 19000/-
			35 bhp)		
		ट्रैक्टर चलित, बोआई,	17		
		रोपाई, कटाई, एवं			
		खुदाई के यंत्र जैसे :-			
		जीरो टिल सीड कम	ट्रैक्टर (35 बी.		
		फर्टिलाईजर ड्रील,	एच.पी. से		
		सीडड्रिल, पोटेटो डिगर, ट्रेक्टर चलित रीपर,	अधिक)	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
		ट्रक्टर चालत रापर, Tractor drive sowing,	Tractor	रू. 35,000 ∕ −	र्फ. 44,000 ∕ —
		Planting, Reaping and	(Above 35	Max.` 35000/-	Max.` 44000/-
		Digging Equipments :-	bhp)		,,
		Zero till seed cum fertilizer drill, Seed			
		Drill, Tractor drawn			
		reaper,			
		शक्ति चलित / ट्रेक्टर			
		चालित कटाई एवं गहाई के यंत्र जैसे	****** (o 1		कीमत का 50 %
		गहाइ क यत्र — जस :— थ्रेशर, मल्टीक्रॉप	ट्रैक्टर (35 बी. एच.पी. से	कीमत का 40 % अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
		थेशर, पैडी थ्रेशर ब्रश	अधिक)	रू. 50,000 / —	
	9	कटर,	Tractor	40% of total	₹5. 63,000 / -
		Power drivne	(Above 35	cost & max.`	50% of total cost & max.`
		harvesting & threshing	bhp)	50000/-	63000/-
		:- Thresher/Multi crop thresher, Paddy	- 17		03000/-
		thresher, Brush Cutter			
		पावर आपरेटेड चाफ			
		कटर			
		(Operted by		0 0	
	10	engine/electric		अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
		motor below 3 hp & tractor and		रू. 16,000 / – Max.` 16000/-	रू. 20,000 ∕ −
		power tiller below		1VIax. 10000/-	Max.` 20000/-
		20 bhp)			
		पावर आपरेटेड चाफ			
		कटर			
		(Operted by			
		engine/electric			
		motor above 3 to		अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
		5 hp and by		रू. 20,000 ∕ − Max.` 20000/-	रू. 25,000 ∕ −
		power tiller &		1VIAA. ZUUUU/-	Max.` 25000/-
		tractor below 35			
		bhp)			
		हस्त चलित / बैल			
		चलित यंत्र जैसे : मोल्ड बोर्ड, डिस्क			
		माल्ड बाड, ।डस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो,			
		लेवलर,ब्लेड, फरो	_	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
	11	ओपनर, रिजर, पडलर		काथकतम सामा रू. ८,००० / —	
		Manual/animal drawn		Max.` 8000/-	रू. 10,000 ∕ −
		equipments :- MB		1.14.11. 0000/	Max.` 10000/-
		Plow, Disc Plow, Cultivator, Harrow,			
		Leveler Blade, Furrow			
. !!		,			

		T	
	opener, Ridger, Puddler		
	1 dddioi		
	हस्त चलित / बैल		
	चलित बोआई / रोपाई		
	के यंत्र जैसे :- पैडी		
	प्लांटर, सीड कम		
	फर्टिलाइजर ड्रिल, धान रोपाई हेतु नर्सरी तैयार		
12	करने के यंत्र।	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
	Manual/animal drawn	रू. 8,000 ∕ −	रू. 10,000 ∕ -
	sowing and planting	Max.` 8000/-	Max.` 10000/-
	equipments :- Paddy		
	planter, seed cum fertilizer drill,		
	Equipments for raising		
	paddy nursery		
	हस्त चलित / बैल		
	चलित ड्रम सीडर	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
13	(Below 4 row) Manual/animal drawn	क. 1200 / —	क. 1500 / —
	Drum Seeder (Below	Max.` 1200/-	Max.` 1500/-
	4 row)	 1.10.1. 1200/	IVIAX. 1500/-
	हस्त चलित / बैल	 	
	चलित ड्रम सीडर		
	(Above 4 row)	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
	Manual/animal drawn	रू. 1500 ∕ −	रू. 1900 / -
	Drum Seeder (above 4 row)	Max.` 1500/-	Max.` 1900/-
	हस्त चलित / बैल		
	चलित कटाई / गहाई		
	के यंत्र जैसे : थ्रेसर,		
	विनोइग फेन, हस्त		
	चलित उद्यानिकी	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
15	उपकरण।	रू .8,000 / —	
	Manual/animal drawn Harveting & threshing	Max.` 8000/-	रू. 10,000 ∕ −
	equipments:-	1 11 11. 0000/	Max.` 10000/-
	Thresher, Winnowing		
	fan, Horticulture hand		
	tools हस्त चलित / बैल		
	चलित चाफ कटर		
16	(3 फीट तक)	अधिकतम सीमा रू ४,००० / —	अधिकतम सीमा
	Manual/animal drawn	Max.` 4000/-	रू. 5,000 ∕ −
 	Chaff cutter (upto 3)	1v1ax. 4000/-	Max.` 5000/-
	हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर		
17	(3 फीट से अधिक)	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
''	Manual/animal drawn	रू 5,000 / −	रू. 6,300 ∕ −
	Chaff cutter (above 3)	Max.` 5000/-	Max.` 6300/-
	हस्त चलित / बैल		
	चलित यंत्र जैसे :		
	वीडर, कोनो वीडर, गार्डन टूल्स		
18	Manual/animal drawn	अधिकतम सीमा रू 500 / –	अधिकतम सीमा
	equipments:-Grass	Max.` 500/-	रू. 600 ∕ −
	weed slasher, weeder,	1V1aX. 300/-	Max.` 600/-
	conoweeder, Garden Hand Tools		
	पौध संरक्षण यंत्र जैसे :		
	मानव चलित		
	नेपसेक / पैर चलित		
40	स्प्रेयर	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
19	Plant Protection	रू 500 ∕ -	रू. 600 ∕ -
	Equipments:- Manual sprayer,	Max.` 500/-	Max.` 600/-
	Knapsack/foot		
	operated sprayer,		

			पौध संरक्षण यंत्र जैसे : पावर आपरेटेड नेपसेक			
		20	संप्रेयर / पावर आपरेटेड ताईवान स्प्रेयर (क्षमता 8—12 लीटर) Plant Protection Equipments:- Powered knapsack sprayer/ Power operated Taiwan sprayer (Capacity 8-12 lts)		अधिकतम सीमा रू 2500 / – Max.` 2500/-	अधिकतम सीमा रू. 3100 / – Max.` 3100/-
		21	पौध संरक्षण यंत्र जैसे : पावर आपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर / पावर आपरेटेड ताईवान स्प्रेयर (क्षमता 12—16 लीटर) Plant Protection Equipments:- Powered knapsack sprayer/ Power operated Taiwan sprayer (Capacity 12-16 lts)		अधिकतम सीमा रू 3,000 / – Max.` 3000/-	अधिकतम सीमा रू. 3,800 / – Max.` 3800/-
		22	पौध संरक्षण यंत्र जैसे : पावर आपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर / पावर आपरेटेड ताईवान स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर से अधिक) Plant Protection Equipments:- Powered knapsack sprayer/ Power operated Taiwan sprayer (Capacity above 16 Its)		अधिकतम सीमा रू 8,000 / – Max.` 8000/-	अधिकतम सीमा रू. 10,000 / – Max.` 10000/-
		23	ट्रेक्टर मॉऊन्टेड / आपरेटेड स्प्रेयर (Below 20 bhp) Tractor mounted/Operated Sprayer (Below 20 bhp)		अधिकतम सीमा रू ८,००० / – Max.` 8000/-	अधिकतम सीमा रू. 10,000 / — Max.` 10000/-
		24	ट्रेक्टर मॉऊन्टेड / आपरेटेड स्प्रेयर (Below 35 bhp) Tractor mounted/Operated Sprayer (Below 35 bhp)		अधिकतम सीमा रू 10,000/– Max.` 10000/-	अधिकतम सीमा रू. 13,000 / — Max.` 13000/-
		25	ट्रेक्टर मॉऊन्टेड / आपरेटेड स्प्रेयर (Above 35 bhp) Tractor mounted/Operated Sprayer (above 35 bhp)		कीमत का 40 % अधिकतम सीमा रू 50,000 / – 40% of total cost & max.` 50000/-	कीमत का 50 % अधिकतम सीमा रू 63,000 / — 50% of total cost & max.` 63000/-
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the beneficiaries.		1 **	कोई न Nothi		0300ii
12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत			कोई न	नहीं	

	अपेक्षित है।	Nothing.
	Type of economic activities envisaged	
	under the Scheme.	
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल	
	लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है।	
	यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	कोई नहीं
	Whether any ceiling has been fixed on the	Nothing.
	financial outlay for a single borrower/	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	group if so. please give details.	
14.	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	कोई नहीं
	Whether any bank loan is envisaged under the	Nothing.
	Scheme.	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
15.	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य	
	शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट	
	प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है।	आवश्यकता नहीं है।
	Whether any project profiles, etc. has been	Not Required.
	prepared by the State Government for the	•
	use beneficiaries.	
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	.–
	Additional details if any	

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों	राज्य पोषित कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना
	सहित। यदि कोई हो तो, (यदि लागू होता	State Sponsored Krishi Yantra Seva kendra ki sthapana.
	हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी	
	योजनावार प्रेषित की जाए।)	
	Name of the Scheme with sub-	
	components (if any please give the	
	following details sub-component wise if	
	applicable.	
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य	राज्य पोषित योजना
	शासन द्वारा प्रवर्तित है ?	
	Whether it is a Government of	
	India/State Government sponsored scheme?	
<u> </u>	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन	कृषि संचालनालय छ.ग. रायपुर।
3.	हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	Directorate of Agriculture CG Raipur.
	Nodal Department/Directorate at the	Directorate of Agriculture CO Karpur.
	State level responsible for	
	implementing the Scheme.	
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु	कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी विभाग
	उत्तरदायी नोडल विभाग।	Agriculture Engineer, Department of Agriculture (Engineering)
	Nodal Office at the district level	
	responsible for implementing Scheme.	
5.	योजना का उद्देश्य.	(1) राज्य में उन्नत कृषि मशीनों / यंत्रों से कृषि कार्य को प्रोत्साहन।
	Objective of the Scheme.	(2) आर्थिक रूप से पिछड़े कृषक जो प्रत्येक कृषि कार्यमाला हेतु
		पृथक मशीन / यंत्र क्रय करने में सक्षम नहीं है उन्हें किराये पर
		उन्नत कृषि मशीनें / यंत्र उपलब्ध कराना।
		(3) निजी क्षेत्र में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा।
		(4) राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण के स्तर में वृद्धि के साथ श्रम एवं
		समय की बचत।
		(5) फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि से कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार।
		(1) To promote agriculture work with Agril. machine/implements.
		(2) Those farmers who can not afford to buy different agril.
		machine/implements can be provided on hire basis.
		(3) To promote private sector on agril. entrepreneeship
		(4) To improve farm mechanization in state and to save time and labour.
		(5) To increase crop production and improve economic status of farmers.

	की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना	All Districts of the State.
	क्रियान्वित की जा रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास	
	खण्डों के नाम दर्शाये जाए।	
	Whether the Scheme is being implemented in all	
	the districts of the State ? If not, kindly indicate	
	the regions/districts/blocks where the Scheme is	
	under implementation.	2
7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत	सभी वर्गो के हितग्राहियों के लिये
	सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमांत	All type of beneficiaries
	कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित	
	जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग / पुरूष महिला आदि)	
	Type of beneficiaries covered under the Scheme.	
	(SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/ Women, etc.)	
8.	हितग्राहीयों के लिए पात्रता मानदण्ड, आदि कोई हो	निजी क्षेत्र के इच्छुक कृषि उद्यमियों / स्व सहायता समूहों
	तो	(कम से कम पांच सदस्यीय) / पंजीकृत सहकारी समितियों,
	Eligibly criteria for the beneficiary if any.	को–आपरेटिव सोसायटी (प्राथमिक कृषि साख समिति) तथा
		विपणन समिति) कृषि स्नातक / कृषि इंजिनियरिंग।
		Interested private sector agricultural entrepreneurs / self-
		help groups (at least five members) / registered cooperatives, Co-operative Society (Primary Agricultural
		Credit Society) and the Marketing Committee) agricultural
		graduate/ agricultural engineering.
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर	व्यक्तिगत / समूह दोनों के रूप में दी जाती है।
	पर / दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	Assistance is provided on individual basis or in group.
	Whether assistance is provided on an individual	
	basis/ group basis/both individual and group	
	basis.	
10.	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि	सामान्य एवं उपयोजना क्षेत्र में ' 25.00 लाख के कृषि
	अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित	उपकरण एवं मशीन क्रय पर राशि ' 10.00 लाख का
	है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए	अनुदान तथा उपयोजना क्षेत्र में ` 15.00 लाख के कृषि
	अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।	उपकरण एवं मशीन क्रय पर ` 7.50 लाख का अनुदान
	दर (प्रतिशत्) न्यूनतम अधिकतम	क्रेडिट लिक्ड बैक इंडेड सबसीडी के रूप में दिये जाने का
	Details of subsidy provided. If the subsidy is	प्रावधान है साथ ही कम्बाईन हार्वेस्टर क्रय करने वाले सेवा
	provided on the basis of the category of	केन्द्रों को ` 0.50 लाख का अतिरिक्त अनुदान दिये जाने का
	beneficiary please give category wise details	प्रावधान है।
	Rate (%)	In general and Sub area on purchasing of Machine of
	Minimum, Maximum	` 25.00 lakhs, ` 10.00 lakhs is subsidy given and Sub
	GOI Contribution State Government Contribution	area on purchase of machine `15.00 lakhs `7.50 lakhs
	State Government Contribution	is subsidy provided as credit in linked back ended
		Subsidy also on purchasing Combine harvester `
		0.50 lakh subsidy is provided
ايرا	`	
11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन	बैंक की नीति अनुसार
11.	मनी देय का प्रावधान है।	बैक की नीति अनुसार As per bank policy.
11.	मनी देय का प्रावधान है। यदि हॉ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह	S .
11.	मनी देय का प्रावधान है। यदि हॉ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।	S .
11.	मनी देय का प्रावधान है। यदि हॉ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from	S .
11.	मनी देय का प्रावधान है। यदि हॉ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being	S .
11.	मनी देय का प्रावधान है। यदि हॉ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be	S .
11.	मनी देय का प्रावधान है। यदि हॉ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the	S .
	मनी देय का प्रावधान है। यदि हॉ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the beneficiaries.	As per bank policy.
11.	मनी देय का प्रावधान है। यदि हॉ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the	·

	अपेक्षित है।	
	Type of economic activities envisaged under the	
	Scheme.	
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत	न्यूनतम ` 25.00 या 15.00 लाख की कीमत के ट्रैक्टर सहित
	की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हॉ तो	जमीन की तैयारी, बोनी, फसल कटाई एवं थ्रेशिंग के कृषि
	कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	मशीनों / यंत्रों के क्रय किये जाने पर ` 10.00 या 7.50
	Whether any ceiling has been fixed on the	लाख की राशि क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड सबसिडी के रूप
	financial outlay for a single borrower/ group if	में दिये जाने का प्रावधान है। कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों द्वारा
	so. please give details.	कम्बाईन हार्वेस्टर क्रय किये जाने पर पर ` 0.50 अतिरिक्त
		अनुदान दिये जाने का प्रावधान
		Rs. 10.00 Or 7.50 lakh is provided as credit linked
		back ended subsidy on purchase of tractors along with
		land preparation, sowing, planting, harvesting &
		threshing machine of least Rs 25.00 Or 15.00 lakh.On
		purchase of combine harvester Rs. 0.50 lakh
		additional subsidy is given.
14.	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	जी हॉ
	Whether any bank loan is envisaged under the	Yes
	Scheme.	
15.	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन	जी हॉ,
	द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार	Yes,
	कर लिए गए है।	
	Whether any project profiles, etc. has been	
	prepared by the State Government for the use	
	beneficiaries.	
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	_
	Additional details if any	

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों	कृषि श्रमिको के दक्षता उन्नयन
'-	सहित। यदि कोई हो तो, (यदि लागू	
	होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी	Skill Development of Tabout
	योजनावार प्रेषित की जाए।)	
	Name of the Scheme with sub-	
	components (if any please give the	
	following details sub-component	
<u> </u>	wise if applicable.	
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य	राज्य पोषित योजना।
	शासन द्वारा प्रवर्तित है ?	State Govt. Sponsored Scheme.
	Whether it is a Government of	
	India/State Government sponsored	
	scheme ?	
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना	5
	क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	Directorate of Agriculture CG Raipur.
	Nodal Department/Directorate at the	
	State level responsible for	
	implementing the Scheme.	
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु	उप संचालक कृषि, कृषि विभाग
	उत्तरदायी नोडल विभाग।	Dy.Director Agriculture, Department of Agriculture
	Nodal Office at the district level	
	responsible for implementing	
	Scheme.	
5.	योजना का उद्देश्य.	1. कृषि मजदूरो के समूह की दक्षता उन्नयन।
	Objective of the Scheme.	2. एवं श्रम साध्य बनाने हेतु कृषि औजारा, यंत्र एवं उपकरण के किट का
		कृषि कार्यो का कृषि यंत्रों / उपकरणों के उपयोग के माध्यम से
		सरलीकरण।
		1. To increase the skill of agricultural labour.
		2. To make agricultural operations easier through use of
		agricultural machines/implements.
6.	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में	·
	क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो	
	कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा	5 1
	रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के	
	नाम दर्शाये जाए।	
	Whether the Scheme is being	
	implemented in all the districts of the	
	State ? If not, kindly indicate the	
	regions/districts/blocks where the	
	Scheme is under implementation.	
	benefite is under implementation.	

7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के	योजनांतर्गत कृषि मजदूर समूह के लिये लागू होगी, समूह का आकार
	अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु	न्यूनतम 10 कृषि मजदूर का होगा।
	कृषक / सीमांत कृषक / अन्य कृषक /	Minimum 10 groups of labour.
	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /	
	अन्य पिछड़े वर्ग / पुरूष महिला आदि)	
	Type of beneficiaries covered under	
	the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/	
	Others/Men/ Women, etc.)	
8.	हितग्राहीयों के लिए पात्रता मानदण्ड,	
0.	आदि कोई हो तो	
	Eligibly criteria for the beneficiary if	_
	any.	
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह	
9.	स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर	
		यदागता समद स्वर के क्या में की जाती है।
	पर / दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	सहायता समूह स्तर के रूप में की जाती है।
	· · ·	Assistance provided on group basis.
	Whether assistance is provided on an	
	individual basis/ group basis/both	
	individual and group basis.	
10.	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक	मज्दूरों के प्रति समूह को े 42000 / — प्रति किट निःशुल्क वितरण किये
	विवरण (यदि अनुदान की राशि,	जाने का प्रावधान है तथा उपकरण के उपयोग तथा रख-रखाव एवं
	हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो	उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के विषय पर प्रति समूह
	कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए	2 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रावधान है जिसमें े 3000 / – प्रति प्रशिक्षण व्यय
	अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।	होगा।
	दर (प्रतिशत्) न्यूनतम अधिकतम	To each group of Rs. 42000/- kit is provided without any amount
	Details of subsidy provided. If the	taken to labour and two days training is provided of Rs. 3000/- on
	subsidy is provided on the basis of	their use, keeping and precaution to be taken.
	the category of beneficiary please	and the grant of the second of
	give category wise details Rate (%)	
	Minimum, Maximum	
	GOI Contribution	
	State Government Contribution	
11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा	कोई नहीं
	कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है।	Nothing
	यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों	
	के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।	
	Whether any margin money is	
	envisaged from the beneficiary other	
	than subsidy being provided. If so,	
	details there of may please be	
	provided for different categories of	
	the beneficiaries.	
12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां	कोई नहीं
'2.	योजनांतर्गत अपेक्षित है।	Nothing.
	Type of economic activities	110411115.
	envisaged under the Scheme.	
	chrisaged under the benefit.	

13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें। Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.	
14.	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है। Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	कोई नहीं Nothing.
15.	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है। Whether any project profiles, etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	कोई नहीं Nothing.
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details if any	

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों	किसान समृद्धि योजना
	सहित। यदि कोई हो तो, (यदि लागू	Kisan Samridhi Yojana
	होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी	
	योजनावार प्रेषित की जाए।)	
	Name of the Scheme with sub-	
	components (if any please give the	
	following details sub-component	
	wise if applicable.	
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ?	राज्य पोषित योजना।
	Whether it is a Government of	State Govt. Sponsored Scheme.
	India/State Government sponsored	
	scheme?	
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना	कृषि संचालनालय छ.ग. रायपुर।
	क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	Directorate of Agriculture CG Raipur.
	Nodal Department/Directorate at the	
	State level responsible for	
	implementing the Scheme.	
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु	उप संचालक कृषि, कृषि विभाग
	उत्तरदायी नोडल विभाग।	Dy.Director Agriculture, Department of Agriculture
	Nodal Office at the district level	
	responsible for implementing Scheme.	
5.	योजना का उद्देश्य.	प्रदेश में उपलब्ध भू–जल का नलकूपों द्वारा समुचित उपयोग एवं फसलों
J.	Objective of the Scheme.	को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर उत्पादकता एवं फसल सहायता में
	objective of the seneme.	वृद्धि करना।
		In the State present ground water by tubewall to be irrigate helps to
		increase in food production.
6.	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में	यह योजना सभी जिलों में क्रियान्वित हो रही है।
	क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो	This Scheme is being implemented in all districts of State.
	कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा	
	रही उन क्षेत्रों / जिलों / विकास खण्डों के	
	नाम दर्शाये जाए।	
	Whether the Scheme is being	
	implemented in all the districts of the	
	State ? If not, kindly indicate the	
	regions/districts/blocks where the	
	Scheme is under implementation.	

			() (\
7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के		कि सभी प्रकार	के हितग्राही।
	अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु	All type	of beneficiaries.	
	कृषक / सीमांत कृषक / अन्य कृषक /			
	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /			
	अन्य पिछड़े वर्ग / पुरूष महिला आदि)			
	Type of beneficiaries covered under the			
	Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/			
	Women, etc.)			
8.	हितग्राहीयों के लिए पात्रता मानदण्ड,			अन्य योजनाओं के अंतर्गत पूर्व में नलकूप खनन
	आदि कोई हो तो	अनुदान	का लाभ प्राप्त वि	केये गये कृषक पात्र नहीं होगें।
	Eligibly criteria for the beneficiary if any.	Those w	ho has already take	en in benefit tube well dug will not be benefitted.
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह			
	स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर			
	पर / दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर	व्यक्तिग	त रूप से	
	दी जाती है।	Assista	nce provided in	dividual.
	Whether assistance is provided on an			
	individual basis/ group basis/both individual			
	and group basis.			
10.	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक		नलकूप खनन अ	
	विवरण (यदि अनुदान की राशि,	क्र.	कृषक वर्ग	अनुदान पात्रता
	हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो		सामान्य वर्ग	खनन की वास्तविक (केसिंग पाईप सहित)
	कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए	1	तामाप्य प्रा	लागत अथवा रू. 10000 / — जो भी कम हो
	अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।		अन्य पिछड़ा	खनन की वास्तविक (केसिंग पाईप सहित)
	दर (प्रतिशत्) न्यूनतम अधिकतम	2	वर्ग	लागत अथवा रू. 15000 / — जो भी कम हो
	Details of subsidy provided. If the		अ.जा. /	खनन की वास्तविक (केंसिंग पाईप सहित)
	subsidy is provided on the basis of	3	अ.ज.जा. वर्ग	लागत अथवा रू. 18000 / — जो भी कम हो
	the category of beneficiary please	2.	पंप प्रतिस्थापन :-	
	give category wise details Rate (%)	<u>葬</u> .	कृषक वर्ग	अनुदान पात्रता
	Minimum, Maximum	я/.	9/44/ 41	पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा
	GOI Contribution	1	सामान्य वर्ग	
	State Government Contribution			रू. 15000 /— जो भी कम हो
		2	अन्य पिछड़ा	पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा
		<u> </u>	वर्ग	रू. 20000 /— जो भी कम हो
		2	अ.जा. /	पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा
			अ.ज.जा. वर्ग	रू. 25000 / — जो भी कम हो
		1-	Subsidy on tubew	
		No.	Farmers group	Subsidy Actual cost of drilling tubewell (with casing pipe)
		1	General	or Rs. 10,000/- whichever is less
			OPC	Actual cost of drilling tubewell (with casing pipe)
		2	OBC	or Rs. 15,000/- whichever is less
		2	SC/ST	Actual cost of drilling tubewell (with casing pipe)
		2-	Subsidy on Pump	or Rs. 18,000/- whichever is less
		No.	Farmers group	Subsidy
				Actual Cost of pump and accessories or
		1	General	Rs. 15000/- whichever is less
		2	OBC	Actual Cost of pump and accessories or
				Rs. 20000/- whichever is less
		3	SC/ST	Actual Cost of pump and accessories or Rs. 25000/- whichever is less

		
11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा	कोई मर्जिन मनी देय नहीं होगा।
	कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है।	No margin money is needed.
	यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों	
	के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।	
	Whether any margin money is	
	envisaged from the beneficiary other	
	than subsidy being provided. If so,	
	details there of may please be	
	provided for different categories of	
	the beneficiaries.	
12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां	कोई नहीं
	योजनांतर्गत अपेक्षित है।	Nothing.
	Type of economic activities	
	envisaged under the Scheme.	
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए	नलकूप खनन अनुदान में सामान्य वर्ग हेतु रु. 10,000 / — जो भी कम हो,
	कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की	अन्य पिछड़ वर्ग हेतु 15,000 / — जो भी कम हो, एवं अ.जा. / अ.ज.जा. वर्ग 🛭
	गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका	हेतु रु.18,000 / – जो भी कम हो।
	विवरण प्रस्तुत करें।	पंप प्रतिस्थापन पर सामान्य वर्ग हेतु रु 15,000 / – जो भी कम हो, अन्य
	Whether any ceiling has been fixed	पिछड़ा वर्ग 20,000 / – जो भी कम हो, एवं अ.जा. / अ.ज.जा वर्ग हेतु रु
	on the financial outlay for a single	25,000 / — जो भी कम हो।
	borrower/ group if so. please give	Dilling tube wells in the general category of grants `10,000 / -, obc
	details.	category for `15.000/- whichever is less, and SC/ST. Categories
		for `18,000 / - whichever is less.
		Establishment pump for the general category of `15,000 / -, obc
		category for `20.000/- whichever is less, and SC / ST `25,000
		for a family / - whichever is less.
14.	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का	कोई नहीं
	प्रावधान है।	Nothing.
	Whether any bank loan is envisaged	
	under the Scheme.	\
15.	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए	
	राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा	Nothing.
	(प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए	
	है।	
	Whether any project profiles, etc. has	
	been prepared by the State	
	Government for the use beneficiaries.	
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	कोई नहीं
	Additional details if any	Nothing.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों	भू—जल संवर्धन
	सहित। यदि कोई हो तो, (यदि लागू	Bhu-Jal Samvardhan
	होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी	
	योजनावार प्रेषित की जाए।)	
	Name of the Scheme with sub-	
	components (if any please give the	
	following details sub-component	
	wise if applicable.	
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य	राज्य पोषित योजना।
	शासन द्वारा प्रवर्तित है ?	State Govt. Sponsored Scheme.
	Whether it is a Government of	
	India/State Government sponsored	
	scheme ?	
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना	कृषि संचालनालय छ.ग. रायपुर।
	क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	Directorate of Agriculture CG Raipur.
	Nodal Department/Directorate at the State level responsible for	
	implementing the Scheme.	
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु	उप संचालक कृषि, कृषि विभाग
4.	उत्तरदायी नोडल विभाग।	Dy.Director Agriculture, Department of Agriculture
	Nodal Office at the district level	Dy. Director righteniture, Department of righteniture
	responsible for implementing	
	Scheme.	
5.	योजना का उद्देश्य.	उचित जल प्रबंधन के अभाव में जहां पानी का उचित उपयोग संभव नहीं
	Objective of the Scheme.	है वही अनेक क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया है उसे कूप
	-	एवं नलकूप के पुनर्भरण करना।
		Recharging of tubewill & wells through proper water management
		in the areas where ground water level is very low.
6.	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में	यह योजना सभी जिलों में क्रियान्वित हो रही है।
	क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो	This Scheme is being implemented in all districts of State.
	कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा	
	रही उन क्षेत्रों / जिलों / विकास खण्डों के	
	नाम दर्शाये जाए।	
	Whether the Scheme is being	
	implemented in all the districts of the	
	State ? If not, kindly indicate the	
	regions/districts/blocks where the	
	Scheme is under implementation.	

- 1		
7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के	सभी वर्ग के सभी प्रकार के हितग्राही। All type of beneficiaries.
	अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु	All type of belieficiaries.
	कृषक / सीमांत कृषक / अन्य कृषक /	
	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /	
	अन्य पिछड़े वर्ग / पुरूष महिला आदि)	
	Type of beneficiaries covered under	
	the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/	
	Others/Men/ Women, etc.)	
8.	हितग्राहीयों के लिए पात्रता मानदण्ड,	कोई नहीं
	आदि कोई हो तो	Nothing.
	Eligibly criteria for the beneficiary if	110711115
	any.	
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह	
	स्तर पर / दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर	
	पर / दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर	व्यक्तिगत रूप से
	दी जाती है।	Assistance is provided on individual basis.
	Whether assistance is provided on an	
	individual basis/ group basis/both	
	individual and group basis.	
10.	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक	प्रति कूप एवं नलकूप के पुर्नभरण हेतु वास्तविक लागत का 50% या रू
	विवरण (यदि अनुदान की राशि,	5000 / — जो भी कम हो अनुदान देय।
	हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो	On recharge of each well and tubewell whichever is less 50% of
	कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए	actual cost or 5000/
	अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।	
	दर (प्रतिशत्) न्यूनतम अधिकतम	
	Details of subsidy provided. If the	
	subsidy is provided on the basis of	
	the category of beneficiary please	
	give category wise details Rate (%)	
	Minimum, Maximum	
	GOI Contribution	
	State Government Contribution	
11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा	
	कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है।	Nothing.
	यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों	
	के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।	
	Whether any margin money is	
	envisaged from the beneficiary other	
	than subsidy being provided. If so,	
	details there of may please be	
	provided for different categories of	
	the beneficiaries.	<u> कोर्</u> ड गर्ड ी
12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां	·
	योजनांतर्गत अपेक्षित है।	Nothing.
	Type of economic activities	
	envisaged under the Scheme.	

13.		नलकूप के पुर्नभरण हेतु लगने वाले कार्य/सामग्री की वास्तविक लागत या अधिकतम व्यय रू. 10000/— का 50 प्रतिशत कुल 5000 रू अनुदान देय। 50% of actual cost limited to Rs. 5000/-
14.	details. क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है। Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	कोई नहीं Nothing.
15.	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है। Whether any project profiles, etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Nothing.
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details if any	कोई नहीं Nothing.

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण विभाग का नाम :- कृषि संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर।

1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों	शाकम्भरी योजना
	सहित। यदि कोई हो तो, (यदि लागू	(i) 5 एच.पी. तक के डीजल/पेट्रोल चलित/ विद्युत पंप/
	होता हो, तो कृपया निम्नांकित	ओपेनवेल सबमर्सिबल पंप पर अनुदान.
	जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।)	(ii) कूप निर्माण पर अनुदान.
	Name of the Scheme with sub-	Shakambhari Yojna.
	components (if any please give the	(i) Subsidy on Diesel/ Petrol operated/Electric Pump/
	following details sub-component	Openwell Submercible Pumps upto 5 HP.
	wise if applicable.	(ii) Subsidy on Dug wells.
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य	राज्य पोषित योजना
	शासन द्वारा प्रवर्तित है ?	State Govt. Sponsored.
	Whether it is a Government of	
	India/State Government sponsored	
	scheme ?	
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना	
		Directorate of Agriculture CG Raipur.
	विभाग।	
	Nodal Department/Directorate at	
	the State level responsible for	
	implementing the Scheme.	
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु	उप संचालक कृषि, कृषि विभाग।
	उत्तरदायी नोडल विभाग।	Dy Director Agriculture, Department of Agriculture.
	Nodal Office at the district level	
	responsible for implementing Scheme.	
	योजना का उद्देश्य.	(1) प्राकृतिक जल संसाधनों का समुचित दोहन.
5.	Objective of the Scheme.	(1) प्राकृतिक जल संसावना का सनुवित दहिन. (2) कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में वृद्धि.
	Objective of the Scheme.	(२) कृषकों का आर्थिक उन्नयन.
		(1) Proper utilization of natural water resource.
		(2) Increase in Agriculture & Horticulture Crop
		production.
		(3) Promotion of economic state of Farmers.

6.	क्या वह योजना राज्य के सभी	राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित.
	जिलों में क्रियान्वित की जा रही	All Districts of the State.
	है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर	
	योजना क्रियान्वित की जा रही	
	उन क्षेत्रों / जिलों / विकास खण्डों	
	के नाम दर्शाये जाए।	
	Whether the Scheme is being	
	implemented in all the	
	districts of the State ? If not,	
	kindly indicate the	
	regions/districts/blocks	
	where the Scheme is under	
	implementation.	
7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना	केवल लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक.
	के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये	Only Small & Marginal Farmers.
	है (लघु कृषक / सीमांत	
	कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित	
	जाति / अनुसूचित जनजाति /	
	अन्य पिछड़े वर्ग/पुरूष महिला	
	आदि)	
	Type of beneficiaries	
	covered under the Scheme.	
	(SF/MF/OF/SC/ST/	
<u> </u>	Others/Men/ Women, etc.) हितग्राहीयों के लिए पात्रता	। (1) ऐसे लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक जिन्होनें पूर्व में किसी
8.	। हतग्राहाया क । लए पात्रता मानदण्ड, आदि कोई हो तो	अनुदान योजना में सिंचाई पंप अथवा कूप निर्माण कार्य न
	Eligibly criteria for the	कराया हो।
	beneficiary if any.	(2) सिंचाई पंप हेतु ऐसे कृषक जिनके पास ऐसा जल स्त्रोत
	beneficiary if any.	हो जिसमें पूरे वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता हो।
		(1) Those small & marginal farmers who have not taken
		advantage of Subsidy on irrigation Pump and Dug
		Well under any Scheme.
		(2) For irrigation pumps these farmers who have source
		of water available throughout the year.
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर	सिंचाई पंप एवं कूप निर्माण में सहायता व्यक्तिगत रूप से दी
	समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत	जाती है।
	एवं समूह स्तर पर/दोनों	Assistance is provided on individual basis on irrigation
	व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी	pumps as well as on Dug well.
	जाती है।	
	Whether assistance is	
	provided on an individual	
	basis/ group basis/both	
	individual and group basis.	

प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए। दर (प्रतिशत्) न्यूनतम अधिकतम Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the of the category basis beneficiary please give category wise details Rate (%) Minimum, Maximum **GOI** Contribution State Government Contribution

स.क्र.	ਧਕਨ	ाधिकतम् र	कार्र यागत	अनुदान का	अनुदान सीमा
S.No.	Component	घटक अधिकतम इकाई लागत Component Max. Unit Cost.		प्रतिशत्	Extent of Subsidy
5.110.	Component			% of Subsidy	amount
		हार्सपावर / स्पेशिफिकेशन	इकाई लागत (रू.)		
1.	विद्युत पंप (Elec. Pump)	0.5	5200.00	75%	अधिकतम इकाई लागत अथवा वास्तविक लागत का 75% जो भी कम हो 75% of Max. Unit cost or actual cost whichever is less
		1.00	8450.00		
		1.50	11700.00		
		2.00	12350.00		
		3.00	16250.00		
		5.00	19500.00		
2.	डीजल पंप (Disel Pump)	3.00	20000.00		
		5.00	22500.00		
3.	ŭ.	ा हेतु भूमि का	प्रकार	50%	अधिकतम इकाई लागत अथवा वास्तविक लागत का 50% जो भी कम हो 50% of Max. Unit cost or actual cost whichever is less
	1. ग्रेनाईट ग्नीसेस बेसाल्ट कड़ी चट्टान (Granite Ginises Basalt heard rock)	Dia - 6m Depth - 10m Steining - 4m	37500.00		
		Dia - 6m Depth - 12m Steining - 4m	41200.00		
		Dia - 5m Depth - 14m Steining - 4m	40000.00		
		Dia - 5m Depth - 16m Steining - 4m	50400.00		
	2. कछारी भूमि (Alluvaila)	Dia - 3m Depth - 12m Steining - 12m	35500.00		
कोई मार्गि	र्जेन मनी देय नही	री है।			

11. क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है।
यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।
Whether any margin money is envisaged from the beneficiary

कोई मार्जिन मनी देय नहीं है। No Margin money is needed.

	other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the beneficiaries.	
12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां	कोई नहीं
	योजनांतर्गत अपेक्षित है।	Nothing.
	Type of economic activities	
	envisaged under the Scheme.	

13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित	अनुसार जो भी राशि कम हो ।
	की गयी है। यदि हॉ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	% of subsidy on max. unit cost or actual cost, whichever is less.
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single	
	borrower/ group if so. please give details.	
14.	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	जी हॉ Yes
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	
15.	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा	
	(प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है।	Tvot required.
	Whether any project profiles, etc. has been prepared by the State	
	Government for the use beneficiaries.	
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details if any	सिंचाई पंप हेतु :— (i) सिंचाई पंप तथा उसकी सहायक सामग्री आई.एस.आई. मार्का होनी चाहिये।
		(ii) विद्युत कनेक्शन संबंधी खर्च कृषक स्वयं वहन करेगा।
		(iii) पंप का प्रदाय छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा राज्य स्तर पर विभाग द्वारा पंजीकृत प्रदायकों द्वारा किया जाता है।
		(iv) कृषक अपनी पसंद के आई.एस.आई. मार्क पंप निजी विक्रेताओ / सहकारी संस्था से क्रय करने स्वंतत्र है।
		कूप निर्माण हेतु:— (i) कूप का आकार तथा एक कूप से दूसरे कूप अथवा नलकूप की दूरी नाबार्ड द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम न हो।
		नाबाड द्वारा निधारित मापदण्ड स कम न हो। (ii) असफल कूप पर वास्तविक व्यय का 50% अथवा इकाई लागत जो भी कम हो वह उप संचालक कृषि की स्वीकृति उपरांत देय होगा।
		For Irrigation Pumps :-
		(i) The Pumps and its accessories should be ISI Marked.(ii) Farmer has to bear expenses of Elec. Connection.
D:\ENGIN	 EERING\Technical-1\State Credit Plan 2016 17 (Shakambhari Plan).doc	(iii) Pumns shall be sunnlied by C.G. Beei evam Krishi Vikas Nigam and by

suppliers registered by the deptt. at state level. (iv) Farmers is tree to purchase ISI Mark pump from Private dealers/cooperative agencies.
For Dug Wells:- (i) The size of the well, Distance between two dug wells or dug well & tube well should not be less than the norms of NABARD. (ii) In case of unsuccessful wells 50% of actual expenses on the uni
cost, whichever is less, shall be granted after sanction from Deputy Director Agriculture.